

स्टेशन संचालन नियम क्र.:- 523

जारी करने की तिथि:- .....

लागू करने की तिथि:- .....

**भिण्ड स्टेशन (बड़ी लाइन)**

**टिप्पणी:-**स्टेशन संचालन नियमों को साधारण एवं सहायक नियमावली एवं ब्लॉक संचालन नियमावली के सहयोजन से पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी रूप में उपर्युक्त पुस्तकों के किसी भी नियम का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

**1. स्टेशन संचालन नियम आरेख:-**

रेल पथ क्षमता आरेख क्रमांक एस.आई. 2345/बी दिनांक 20.12.2016 एवं आई.पी.संख्या एस.आई. 2345/बी दिनांक 07.10.2016 पर आधारित हैं

**2. स्टेशन का वर्णन:-**

**2.1 सामान्य स्थिति:-**

भिण्ड स्टेशन "बी" श्रेणी का मानक I (आर) से इन्टरलॉक बहुसंकेतीय रंगीन रोशनी वाले सिगनलों से सज्जित ग्वालियर-इटावा इकहरी लाइन खण्ड पर मुम्बई सीएसटी से 1306.762 किमी पर स्थित है। इस स्टेशन के दोनों सिरों पर कोई कैबिन नहीं है।

**2.2 दोनों ओर के ब्लॉक स्टेशन और उनकी दूरियां:-**

**a. दोनों ओर के ब्लॉक स्टेशन निम्नलिखित हैं :-**

- i- सोनी स्टेशन किमी. 23.6 (ग्वालियर सिरे पर)
- ii- उदी स्टेशन किमी. 23.65 (इटावा सिरे पर)

**b. डी श्रेणी के स्टेशन और उनकी दूरियां:-**

भिण्ड-सोनी के मध्य दो 'डी' श्रेणी स्टेशन हैं ।

- i. अशोकहर किमी. 1289.538
- ii. इतेहर किमी. 1295.850

भिण्ड-उदी के मध्य एक 'डी' श्रेणी स्टेशन हैं ।

फूफ किमी. 1319.637

**टिप्पणी:-**

- i. सहा.नि. 3.31(I) के अनुसार "डी" श्रेणी स्टेशन पर यात्रियों के चढ़ाने/उतारने के लिये यात्री गाड़ी के लोको पायलट प्लेटफार्म अथवा आवश्यक रोक स्थान पर गाड़ी को रोकेगें ।
- ii. कोहरे और धुंध के मौसम में कार्यरत गाड़ी के लोको पायलट को फ्लैग/हाल्ट स्टेशन का संकेत देने के लिये स्टेशन से 1200 मी की दूरी पर स्टे. चेतावनी तख्ती लगायी गई हैं।

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी & जी)/झांसी ।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.)/झांसी ।

## 2.3 स्टेशन के दोनों ओर विभिन्न मार्गों पर ब्लॉक खण्ड सीमाएं:-

स्टेशन के बीच	स्थान जहां से ब्लॉक खण्ड प्रारंभ होता है।	स्थान जहां पर ब्लॉक खण्ड समाप्त होता है।
भिण्ड-सोनी	भिण्ड अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-13	सोनी के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल के बीच
भिण्ड-उदी	भिण्ड डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-12	उदी के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-1 के बीच

## 2.4 ढलान यदि कोई हो:-

अप दिशा	किमी.	ढलान
	सोनी स्टेशन की तरफ किमी 1305.950 तक	समतल
	किमी 1305.950 से किमी. 1304.900 तक	290.5 में 1 का उठता हुआ
	किमी. 1304.900 से किमी. 1304.575 तक	समतल
	किमी. 1304.575 से किमी 1303.550 तक	301.914 में 1 का गिरता हुआ
	किमी 1303.550 से सोनी सिरे ब्लॉक खण्ड तक	समतल
डाउन दिशा	किमी.	ढलान
	उदी स्टेशन की तरफ ब्लॉक खण्ड से किमी 1303.550 तक	समतल
	किमी 1303.550 से किमी. 1304.575 तक	301.914 में 1 का गिरता हुआ
	किमी. 1304.900 से किमी. 1305.950 तक	290.5 में 1 का गिरता हुआ
	किमी. 1305.950 से आगे ब्लॉक खण्ड में	समतल

## 2.5 ले आउट:-

A. यहाँ पर तीन रनिंग लाइनें हैं :-

- अप मुख्य डाउन लाइन
- अप प्रथम लूप डाउन लाइन
- अप द्वितीय लूप डाउन लाइन

B. अप प्रथम लूप डाउन लाइन के ग्वालियर सिरे पर से निकली एक ए.एण्ड.डी साइडिंग एवं इटावा सिरे पर छोटी साइडिंग है।

2.5.1 रनिंग लाइनों की संचालन दिशा और धारण क्षमता:-  
(एक इंजन गाड़ी के लिये)

लाइन नम्बर	सी.एस.आर.	प्लेटफार्म
अप मुख्य डाउन लाइन	816.00 मीटर	हाई लेवल
अप प्रथम लूप डाउन लाइन	816.00 मीटर	हाई लेवल
अप द्वितीय लूप डाउन लाइन	825.00 मीटर	हाई लेवल

2.5.2 बिना चालू लाइनों की संचालन दिशा और धारण क्षमता:-  
(बिना इंजन गाड़ी के लिये)

लाइन नम्बर	सी.एस.आर.	प्लेटफार्म
ए.एण्ड.डी साइडिंग (ग्वालियर सिरा)	80.00 मीटर	-
छोटी साइडिंग (इटावा सिरा)	180.00 मीटर	-

## 2.5.3 ले आउट में कोई असामान्य लक्षण:- कुछ नहीं।

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी &amp; जी)/ झांसी।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.)/ झांसी।

## 2.6 समपार फाटक:-

फाटक संख्या	45	50
सेक्शन	सोनी-भिण्ड	भिण्ड यार्ड (ग्वालियर सिरा)
वर्गीकरण	"सी" / श्रेणी	"सी" / श्रेणी
विभाग	इंजीनियरिंग	यातायात
किमी./सिरा	1296 / 2-3	1305 / 967
सामान्य स्थिति	खुला	खुला
इन्टरलॉकड / नॉन-इन्टरलॉकड	नॉन-इन्टरलॉकड	इन्टरलॉकड
उठनेवालेनाके / पल्ले	लिफ्टिंग बैरियर	लिफ्टिंग बैरियर
टेलीफोन (साथ में)	स्टेशन मास्टर कार्यालय भिण्ड	स्टेशन मास्टर कार्यालय भिण्ड
द्वारा संचालित	इंजीनियरिंग फाटक वाला	यातायात फाटक वाला

टिप्पणी:- विस्तृत जानकारी के लिये परिशिष्ट 'ए' देखें।

## 3. पद्धति और संचालन के साधन:-

ए गाड़ियां पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर चलाई जाती है।

बी संचालन के साधन :-

- भिण्ड-सोनी खण्ड के मध्य गाड़ी परिचालन के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में नील्स 'ए' टाईप इकहरी लाइन बॉल टोकन ब्लॉक उपकरण स्टेशन से स्टेशन टेलीफोन सहित लगाया गया है।
  - भिण्ड-उदी खण्ड के मध्य गाड़ी परिचालन के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में नील्स 'ए' टाईप इकहरी लाइन बॉल टोकन ब्लॉक उपकरण स्टेशन से स्टेशन टेलीफोन सहित लगाया गया है।
  - स्टेशन मास्टर उसके कार्य एवं चाबी को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिये जिम्मेदार होगा।
- सी स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक ग्वालियर-इटावा खण्ड नियंत्रण टेलीफोन लगाया गया है।

## 3.1 एक्सल काउण्टर:-

अप मुख्य डाउन लाइन पर (बर्थिंग पोर्शन)-02ए एक्सटी एक्सल काउंटर अप एवं डाउन प्रस्थान सिगनलों के मध्य दिया गया है।

## 4. सिगनल एवं इन्टरलॉकिंग पद्धति:-

## 4.1 ए

- यह स्टेशन बी श्रेणी मानक-I (आर) हस्तचलित बहुसंकेतीय रंगीन रोशनी वाले सिगनलो से सुसज्जित है।
- स्टेशन मास्टर कार्यालय में 10 एच.के.टी. चाबी की व्यवस्था दी गई है।
- अप एवं डाउन सिगनलों के परिचालन हेतु एक 24 स्लाईड का स्टे.मा.नियंत्रण ढाचा लगा हुआ है।
- इन्टरलॉक फाटक क्र. 50'सी' एच के. टी. द्वारा विद्युतीय चाबी स्थानान्तरण से ई प्रकार के लॉक से एवं उठने वाले नाकों द्वारा सज्जित हैं।
- ट्रैकसर्किट अप मुख्य डाउन लाइन पर उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह तक एक्सल काउंटर सहित किया गया है।

टिप्पणी:- सिगनल एवं प्वाइंट की विस्तृत कार्यप्रणाली के लिये परिशिष्ट 'बी' देखें।

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी & जी) / झांसी ।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.) / झांसी ।

4.2

रिले कक्ष की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारी के बीच इन्हे लेने-देन की कार्य पद्धति:-

रिले कक्ष में दो ताले लगाये गये हैं, एक ताले की चाबी कार्यरत स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में तथा दूसरी चाबी ईएसएम के नियंत्रण में होगी। कार्यरत स्टे. मास्टर चाबी को कार्य के लिये या मांगने पर ई एस एम को हस्तांतरित करेगा। तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर यह भी सुनिश्चित करेगा कि कार्य के उपरांत चाबी वापस कर दी गई है।

कार्यरत स्टे. मास्टर/सहा. स्टे. मास्टर चाबी के हस्तांतरित का रिकार्ड नियमानुसार रजिस्टर में बने प्रोफोर्म में प्रविष्टि दर्ज करेंगे।

4.3

**पावर सप्लाई :**

सिगनल सर्किट म.प्र.वि. बोर्ड के एक फेज द्वारा कार्य करता है यदि एक फेज बंद हो जाता है तो स्टेशन मास्टर तुरन्त स्विच का प्रयोग कर दूसरे फेज पर सिगनलिंग स्विच से सिगनलिंग लोड को स्थानान्तरित करेगा यदि दूसरा फेज भी कार्य नहीं कर रहा है तो स्विच द्वारा डी.जी. सैट पर स्थानान्तरित करेगा ।

इस स्टेशन पर निम्न पावर सप्लाई उपलब्ध हैं :-

- 1 म.प्र. वि. बोर्ड (दो फेज)
  - 2 विद्युत जनरेटर सेट क्रमांक-1
  - 3 विद्युत जनरेटर सेट क्रमांक-2
- विस्तृत कार्यप्रणाली के लिए परिशिष्ट "बी" देखें।

5. **दूर संचार व्यवस्था:-**

निम्नलिखित फोन और संचार व्यवस्था सुविधाएँ इस स्टेशन पर उपलब्ध हैं:-

क्र.	संचार व्यवस्था की टाइप	स्थान
1.	ब्लॉक टेलीफोन	स्टेशन मास्टर के कार्यालय में दो नील के 'ए' टाइप के बॉल टोकन ब्लॉक उपकरण पृथक टेलीफोन सहित स्टेशन से स्टेशन के लिए लगे है। अर्थात एक भिण्ड-सोनी तथा दूसरा भिण्ड-उदी के बीच गाडियों के संचालन के लिये।
2.	गुप टेलीफोन	
	समपार फाटक-45 ( सोनी-भिण्ड )	स्टेशन मास्टर कार्यालय एवं समपार फाटक के बीच
	समपार फाटक-50 ( भिण्ड यार्ड)	स्टेशन मास्टर कार्यालय एवं समपार फाटक के बीच
	जीएफ-11 एवं जीएफ-12 (स्टेशन सेक्शन में)	स्टेशन मास्टर कार्यालय एवं जी एफ लोकेशन बॉक्स
3.	ऑटो/डीओटी टेलीफोन	कुछ नहीं
	रेलवे फोन	
	बी.एस.एन.एल फोन 07534-2545520	स्टे.मास्टर कार्यालय में
4.	कॉन्ट्रोल टेलीफोन GWL-ETW	स्टे.मास्टर कार्यालय में
	टेस्ट फोन	स्टे.मास्टर कार्यालय में
5.	वीएचएफ संचार 25डब्ल्यू वीएचएफ	रनिंग ट्रेन के लोको पायलट एवं गार्ड तथा स्टे. मास्टर कार्यालय के बीच और आपातकाल में अगल-बगल के स्टेशनों के बीच।

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी & जी)/झांसी ।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.)/झांसी ।

## 6 गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

### 6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी:-

- |      |               |   |   |                  |
|------|---------------|---|---|------------------|
| i.   | स्टेशन मास्टर | - | 1 | रोस्टर के अनुसार |
| ii.  | काँटे वाला    | - | 2 | रोस्टर के अनुसार |
| iii. | गेटमैन        | - | 1 | रोस्टर के अनुसार |

**टिप्पणी:-**कर्मचारियों के कर्तव्य परिशिष्ट 'डी' देखें।

### 6.1.2 लाइन का क्लियर होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व के क्षेत्र:-

- इस स्टेशन पर लाइन एडमिशन बुक लागू नहीं है।
- स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर एक्सल काउंटर की रीसेटिंग के संचालन के लिये और उनकी चाबी अपनी स्वयं की अभिरक्षा में रखने के लिये जिम्मेदार है।
- स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक्सल काउंटर के 'क्लियर' और 'घिरा' हुआ संकेत दिये गये हैं।
- अप या डाउन गाड़ी को अप मुख्य डाउन लाइन पर लेने के लिये आगमन सिगनल 'ऑफ' करने के पहले स्टेशन मास्टर एक्सल काउंटर संकेतक पर 'क्लियर संकेत' की अवश्य जांच करें।

**टिप्पणी:-**खराबी के मामले में एक्सल काउंटर के संचालन और रीसेटिंग का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "बी" में दिये गये हैं।

### 6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :

प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर तैनाती हुई है या 15 दिन से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले नियमित कर्मचारियों को प्रचलित स्टेशन संचालन नियमों को अवश्य पढ़ना चाहिये और निर्धारित आश्वासन पंजिका में अपना आश्वासन दर्ज करना चाहिये।

### 6.2 लाइन क्लियर प्रदान करने के लिए शर्त:-

- किसी गाड़ी को लाइन क्लियर प्रदान करने से पूर्व ड्यूटी वाला स्टे.मा. सुनिश्चित करेगा कि -
  - पिछली गाड़ी पूरी की पूरी पिछली बत्ती/तख्ती सहित फाउलिंग मार्क को क्लियर करके खड़ी हैं। (सा. एवं सहा. नियम के सा. नि. 8.3-2(ए) के अनुसार)
  - उक्त गाड़ी के पीछे सभी आवश्यक सिगनल 'ऑन' स्थिति में कर दिये गये हैं।
  - सा. एवं सहा. नियम के सा. नि. 8.03 के अनुसार डाउन गाड़ियों के लिए लाइन ग्वालियर सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ होना चाहिये एवं सा. एवं सहा. नियम के सा. नि. 8.03 के अनुसार अप गाड़ियों के लिए लाइन उदी सिरे के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-12 तक अवश्य साफ हो।
  - लाइन क्लियर देने से पहले ड्यूटी वाला स्टे.मा. यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सिगनल 'ऑन' स्थिति में हैं तथा चमकदार जल रहे हैं।

इसकी जाँच स्टे.मा. कार्यालय में लगाये गये प्रकाशित संकेतों द्वारा की जायेगी।

ऐसे मामले में जिनमें विघुतिय खराबी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ खराब हो गयी है और जिसके कारण सिगनल जलते हुये नहीं रखे जा सकते हो तो स्टेशन मास्टर नया लाइन क्लियर नहीं देगा और काँटे वाले को स्टे. के प्रथम रोक सिगनल पर भेजेगा जो कि दिन में लाल झण्डी/रात में लाल बत्ती को लेकर आने वाली गाड़ी को रोकने के लिये सिगनल के नीचे खड़ा रहेगा।

वह तुरन्त बगल वाले स्टे.को तथा सभी अप और डाउन गाड़ियों के लोको पायलट को तुरन्त सर्तकता आदेश जारी करने के लिये सूचित करेगा कि जहाँ सिगनल बत्तियाँ नहीं जल रही हैं वहाँ सर्तकता पूर्वक एवं पैनी निगाह रखते हुये प्रथम रोक सिगनल के पहले रुकने को तैयार रहें तथा काँटे वाले को आने वाली गाड़ी को रोकने के लिये तैयार रहना चाहिये तब गाड़ी को पायलेट करना चाहिये।

**टिप्पणी:-**किसी भी गाड़ी को लाइन क्लियर देने के पूर्व स्टेशन प्रबंधक द्वारा सम्बन्धित खण्ड में स्थित सभी गेटों का बन्द होना सुनिश्चित किया जायेगा।

**6.2.1 गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली कोई विशेष शर्त:-****गाड़ियों की बर्थिंग :-**

यात्रीयों को ले जाने वाली एवं स्टेशन पर रूकने वाली गाड़ी को सामान्यतः अप लूप प्रथम डाउन लाइन (हाईलेवल प्लेटफार्म) या अप द्वितीय लूप डाउन लाइन या अप मुख्य डाउन लाइन पर ही लेना चाहिए। यदि दो या अधिक यात्री गाड़ियां जिनको स्टेशन पर रूकना है, उनका क्रॉसिंग कराना आवश्यक है तो पहली गाड़ी को अप प्रथम लूप डाउन लाइन पर तथा दूसरी गाड़ी को अप द्वितीय लूप डाउन लाइन पर तथा तीसरी गाड़ी को अप मुख्य डाउन लाइन पर लेना चाहिए।

**6.2.1.1 घिरी हुई लाइन के विरुद्ध कांटों को सैट करना:-**

जब रनिंग लाईन ब्लॉक हो तो कांटों को खाली लाइन के लिए या कम महत्वपूर्ण लाईन के लिए सैट किया जाएगा। ब्लॉक लाईन के विरुद्ध दोनों तरफ के कांटों को सैट वा तालित किया जाएगा और उसकी चाभी स्टेशन मास्टर की अभिरक्षा में रहेगी। (सहा0.नि. 5.23-1 के अनुसार) घिरी हुई लाइन की स्लाइड पर स्लाइड पिन अवश्य लगायी जायेगी।

**6.2.1.2 घिरी हुई लाइन पर किसी ट्रेन को लेना:-**सा.नि. 5.09 साधारण और सहायक नियम का पालन किया जायेगा।**6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन:-** लागू नहीं है।**6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान:-** लागू नहीं है। सभी अप/डाउन लाइनों पर प्रस्थान सिगनल उपलब्ध कराये गये हैं।**6.2.1.5 कॉमन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-** लागू नहीं है।**6.2.1.6 कोई आसामान्य स्थिति जिसमें सामान्य एवं सहायक नियमावली की कोई विशेष शर्त दी गई हो:-**

कुछ नहीं।

**टिप्पणी:-**कांटों का सही तरफ से सैट होना, क्लैम्प होना तथा तालित होना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होगी।

**6.3(ए) आगमन सिगनलों को ऑफ करने की शर्त :**

सम्बन्धित होम सिगनलों को "ऑफ" करने से पहले निम्नलिखित शर्तों का अवश्य पालन करना चाहिए।

**i. डाउन गाड़ियों को अप मुख्य डाउन लाइन पर लेना (सा. नि. 3.40) :-**

बी.डब्ल्यू.एम के पैरा-10.05 (b)(i) के अनुसार लाइन डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-12 तक अवश्य साफ होना चाहिये एवं रूट के सभी कांटे सही सैट एवं तालित होने चाहिये।

**ii. डाउन गाड़ी को प्रथम अप लूप डाउन लाइन पर लेना :-**

लाइन के आगे के सम्मुख कांटे प्रथम लूप लाइन के लिए सैट एवं लॉक होने चाहिए। लूप लाइन के दूर सिरे के कांटे मुख्य लाइन से जुड़े होने चाहिए एवं लाइन बी.डब्ल्यू.एम के पैरा-10.05 (b)(i) के अनुसार डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-12 तक अवश्य साफ होना चाहिये एवं रूट के सभी कांटे सही सैट एवं तालित होने चाहिये।

यदि किसी डाउन गाड़ी को मुख्य लाइन या द्वितीय अप लूप डाउन लाइन से चलाना हो तब प्रथम लूप लाइन के कांटे शार्ट साइडिंग की तरफ लगाये जा सकते हैं तथा डिरेलिंग सविच नम्बर-5 को बन्द रखा जायेगा। उपरोक्त स्थिति के अतिरिक्त कांटे मुख्य लाइन के लिये ही लगाये जायेगे।

**iii. डाउन गाड़ी को द्वितीय अप लूप डाउन लाइन पर लेना :-**

लाइन के आगे के सम्मुख कांटे द्वितीय लूप लाइन के लिए सैट एवं लॉक होने चाहिए। लूप लाइन के दूर सिरे के कांटे मुख्य लाइन से जुड़े होने चाहिए एवं लाइन बी.डब्ल्यू.एम के पैरा-10.05 (b) (i) के अनुसार डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-12 तक अवश्य साफ होना चाहिये एवं रूट के सभी कांटे सही सैट एवं तालित होने चाहिये।

- iv. **अप गाड़ियों को अप मुख्य डाउन लाइन पर लेना (सा. नि. 3.40) :-**  
बी.डब्ल्यू.एम के पैरा-10.05 (b)(i) के अनुसार लाइन अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-13 तक अवश्य साफ होना चाहिये एवं रूट के सभी कांटे सही सैट एवं तालित होने चाहिये।
- v. **अप गाड़ी को प्रथम अप लूप डाउन लाइन पर लेना :-**  
लाइन के सम्मुख कांटे प्रथम लूप लाइन के लिए सैट एवं लॉक होने चाहिए। लूप लाइन के दूर सिरे के कांटे मुख्य लाइन से संबंध होना चाहिए एवं लाइन बी.डब्ल्यू.एम के पैरा-10.05 (b)(i) के अनुसार अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-13 तक अवश्य साफ होना चाहिये एवं रूट के सभी कांटे सही सैट एवं तालित होने चाहिये।
- vi. **अप गाड़ी को द्वितीय अप लूप डाउन लाइन पर लेना :**  
लाइन के सम्मुख कांटे द्वितीय लूप लाइन के लिए सैट एवं लॉक होने चाहिए। लूप लाइन के दूर सिरे के कांटे मुख्य लाइन से संबंध होना चाहिए एवं लाइन बी.डब्ल्यू.एम के पैरा-10.05 (b) (i) के अनुसार अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-13 तक अवश्य साफ होना चाहिये एवं रूट के सभी कांटे सही सैट एवं तालित होने चाहिये।

**टिप्पणी:-**गाड़ी को अप मुख्य डाउन लाइन या अप प्रथम लूप डाउन लाइन या अप द्वितीय लूप डाउन लाइन पर लेने के लिए सिगनल को 'ऑफ' किया जा सकता है बशर्ते कि दूसरी दिशा की गाड़ी के आगमन के लिए सिगनल को 'ऑन' की स्थिति में रखा गया हो। एक बार में एक गाड़ी के आगमन के लिए सिगनल 'ऑफ' किये जा सकते हैं।

### 6.3(बी) गाड़ियों के आगमन की विधि :-

#### a. डाउन गाड़ी के लिए :-

- 1 स्टेशन मास्टर गाड़ी लेने के लिये एक लाइन नामित करेगा ।
- 2 स्टेशन मास्टर दोनो कांटेवालो को गाड़ी का विवरण वह लाइन जिस पर गाड़ी लेना हैं कांटो की सैटिंग और यातायात फाटक को बंद करने का स्पष्ट निर्देश देगा ।
- 3 जब कभी गाड़ी लेना हो तो नामित कांटे वाला व्यक्तिगत रूप से प्रथम सम्मुख कांटे तक जायेगा और स्टे. मा.कार्यालय से होम सिगनल, तक लाइन साफ है इसको सुनिश्चित करेगा व रूट के सभी कांटे सही रूप से सैट एवं तालित हैं तथा समपार फाटक-50 सड़क यातायात के लिये बन्द है यह सुनिश्चित करेगा।
- 4 दूर सिरे का कांटे वाला यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन स्टेशन मास्टर कार्यालय से किसी अवरोध से अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हैं रूट के सभी कांटे सही रूप से सैट एवं तालित हैं सम्बंधित रूट लीवर नियंत्रण की चाबी स्टेशन मास्टर को एच.के.टी. द्वारा स्थानान्तरित करेगा उसके बाद स्टेशन मास्टर कार्यालय में वापस आयेगा और स्टेशन मास्टर को सूचना देगा ।
- 5 पास सिरे का कांटे वाला भी व्यक्तिगत रूप से पास सिरे के तल ढाचा तक जायेगा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन स्टेशन मास्टर कार्यालय से होम सिगनल तक किसी अवरोध से साफ है रूट के सभी कांटे सही रूप से सैट व तालित हैं तथा समपार फाटक-50 सड़क यातायात के लिये बन्द है वह सम्बंधित रूट लीवर नियंत्रण की चाबी स्टेशन मास्टर को एच.के.टी. द्वारा स्थानान्तरित करेगा तथा परिचालन लोकेशन बाक्स में दिये टेलीफोन द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा ।
- 6 जब एक बार स्टेशन मास्टर चाबी कांटेवाले से एच.के.टी. के माध्यम से प्राप्त कर लेता हैं तथा स्टेशन संचालन नियम के पैरा 6.2 में जैसा वर्णित हैं यह सुनिश्चित कर लेता हैं कि वह लाइन किसी भी अवरोध से साफ हैं तब वह कांटेवाले को जो दूर सिरे के कांटे पर गया हुआ हैं को अप लूप डाउन पर गाड़ी लेने के लिये सत्यापन प्लंजर दबाने के लिये सूचित करेगा ।

- 7 एक बार जब लाइन प्रमाण प्लंजर दबा दिया जाता है तो इसकी घंटी स्टेशन मास्टर कार्यालय में सुनाई देती है। जो कि स्टेशन मास्टर के लिये अप या डाउन लूप लाइन के लिये पावती होगी कि लाइन क्लियर प्लंजर दबा दिया गया है इसके बाद स्टेशन मास्टर केवल गाड़ी को अप लूप डाउन लाइन पर लेने के लिये सम्बंधित आगमन सिगनल 'ऑफ' करेगा। गाड़ी के पूर्ण आगमन होने पर स्टेशन मास्टर सम्बंधित सिगनल को 'ऑन' स्थिति में वापस करेगा।
- 8 स्टेशन मास्टर दोनो कांटेवाला को बतायेगा और चाबी को स्थानान्तरित करेगा जोकि पहले उसको स्थानान्तरित की गई थी। तब दूर सिरे/पास सिरे के कांटेवाला सम्बंधित चाबी को निकालेगा और तल ढाचा कांटे को परिचालित करने के लिये तल ढाचा के पास दिये चाबी लॉक में लगायेगा ओर मुख्य लाइन के कांटे सैट व लॉक करेगा (यदि लूप लाइन पर गाड़ी लेना है) तथा समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।
- 9 कांटेवाला द्वारा कांटे की सैटिंग/तालित करने के बाद चाबी लॉक से चाबी निकालेगा और एच.के.टी. लोकेशन बॉक्स में डालेगा व लोकेशन बॉक्स को बंद करेगा। लोकेशन बॉक्स की चाबी स्टेशन मास्टर को सौपेगा जो कि अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा।

**टिप्पणी:**—स्टेशन मास्टर अवश्य सुनिश्चित करे कि गाड़ी के रास्ते में पड़ने वाले समपार गेट सड़क यातायात के विरुद्ध बंद और तालित कर दिये गये हैं।

**b. अप गाड़ी के लिए :-**

- 1 स्टेशन मास्टर गाड़ी लेने के लिये एक लाइन नामित करेगा।
- 2 स्टेशन मास्टर दोनो कांटेवालो को गाड़ी का विवरण वह लाइन जिस पर गाड़ी लेना है कांटे की सैटिंग और यातायात फाटक को बंद करने का स्पष्ट निर्देश देगा।
- 3 जब कभी गाड़ी लेना हो तो नामित कांटे वाला व्यक्तिगत रूप से प्रथम सम्मुख कांटे तक जायेगा और स्टे. मा.कार्यालय से होम सिगनल तक लाइन साफ व रूट के सभी कांटे सही रूप से सैट एवं तालित हैं की जांच करेगा। दूर सिरे का कांटेवाला यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन स्टेशन मास्टर कार्यालय से किसी अवरोध से समपार फाटक नं.-50 तक साफ (अप गाड़ियों के लिए) हैं रूट के सभी कांटे सही रूप से सैट एवं तालित हैं हैं रूट लीवर की चाबी स्टेशन मास्टर को एच.के.टी. द्वारा स्थानान्तरित करेगा उसके बाद स्टेशन मास्टर कार्यालय में वापस आयेगा और स्टेशन मास्टर को सूचना देगा।
- 4 पास सिरे का कांटेवाला भी व्यक्तिगत रूप से पास सिरे के तल ढाचा तक जायेगा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन स्टेशन मास्टर कार्यालय से होम सिगनल तक किसी अवरोध से साफ है रूट के सभी कांटे सही रूप से सैट व तालित हैं एवं समपार फाटक नं.-50 सड़क यातायात के लिये बंद हैं वह सम्बंधित रूट लीवर फाटक नियंत्रण की चाबी स्टेशन मास्टर को एच.के.टी. द्वारा स्थानान्तरित करेगा तथा परिचालन लोकेशन बॉक्स में दिये टेलीफोन द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।
- 5 जब एक बार स्टेशन मास्टर चाबी कांटेवाले से एच.के.टी. के माध्यम से प्राप्त कर लेता है तथा स्टेशन संचालन नियम के पैरा 6.2 में जैसा वर्णित है यह सुनिश्चित कर लेता है कि वह लाइन किसी भी अवरोध से साफ है तब वह कांटेवाले को जो दूर सिरे के कांटे पर गया हुआ है को अप लूप डाउन पर गाड़ी लेने के लिये सत्यापन प्लंजर दबाने के लिये सूचित करेगा।
- 6 एक बार जब लाइन प्रमाण प्लंजर दबा दिया जाता है तो इसकी घंटी स्टेशन मास्टर कार्यालय में सुनाई देती है। जो कि स्टेशन मास्टर के लिये अप और डाउन लूप लाइन के लिये पावती होगी कि लाइन क्लियर प्लंजर दबा दिया गया है इसके बाद स्टेशन मास्टर केवल गाड़ी को अप लूप डाउन लाइन पर लेने के लिये सम्बंधित आगमन सिगनल (अप होम सिगनल) 'ऑफ' करेगा। गाड़ी के पूर्ण आगमन होने पर स्टेशन मास्टर सम्बंधित सिगनल को 'ऑन' स्थिति में वापस करेगा।



- 7 स्टेशन मास्टर दोनो कांटेवालों को बतायेगा और चाबी को स्थानान्तरित करेगा जोकि पहले स्थानान्तरित की गई थी। तब दूर सिरे/पास सिरे के कांटेवाला सम्बंधित चाबी को निकालेगा और तल ढाचा कांटे को परिचालित करने के लिये तल ढाचा के पास दिये चाबी लॉक में लगायेगा ओर मुख्य लाइन के कांटे सैट व लॉक करेगा (यदि लूप लाइन पर गाड़ी लेना है) और यातायात फाटक सड़क यातायात के लिये खोलेगा ।
- 8 कांटेवाला द्वारा कांटो की सैटिंग/तालित करने के बाद चाबी लॉक से चाबी निकालेगा और एच.के.टी. लोकेशन बॉक्स में डालेगा व लोकेशन बॉक्स/गेटलॉज को बंद करेगा। लोकेशन बॉक्स/गेटलॉज की चाबी स्टेशन मास्टर को सौपेगा जो कि अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा ।

**टिप्पणी :-**स्टेशन मास्टर अवश्य सुनिश्चित करे कि गाड़ी के रास्ते में पड़ने वाले समपार गेट सड़क यातायात के विरुद्ध बंद और तालित कर दिये गये हैं।

#### 6.3.1 स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व सिगनल के 'ऑन' स्थिति में वापस करना-

ब्लाक संचालन नियमावलि के पैरा क्रमांक-8.03 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

#### 6.4 गाड़ियों को एक साथ लेना/गाड़ियों का क्रसिंग-

इस स्टेशन पर गाड़ियों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं है।

#### 6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन:-

गाड़ी का आगमन हो जाने पर पिछले स्टेशन को "गाड़ी खण्ड से बाहर हो गयी" संकेत देने के पहले स्टेशन मास्टर स्वयं संतुष्टि करेगा कि गाड़ी का पूर्ण आगमन हो चुका है या गाड़ी अंतिम वाहन पर लगे टेल लैम्प/टेल बोर्ड सहित नीचे दर्शाये अनुसार गुजर गई हो।

- सीधे जाने वाली गाड़ियों के लिये एवं अन्य दूसरी गाड़ियों के स्टेशन पर निर्धारित स्थान पर रूकने वाली गाड़ी के लिये स्टेशन मास्टर यह निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा और इसका जिम्मेदार होगा कि गाड़ी अपने अंतिम वाहन पर लगी अंतिम तख्ती/बत्ती सहित पूरी की पूरी आ गई हैं।
- ऐसे मामलों में जिसमें इन पद्धति द्वारा गाड़ी का पूर्णगमन निश्चित न हो सके स्टेशन मास्टर सा. एवं सहा. नियमा. के सहा. नि. 4.56/1 के प्रावधान के अनुसार पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर गार्ड के पास भेजेगा।
- इनमें से किसी एक पद्धति द्वारा गाड़ी का पूर्णगमन निश्चित करने के बाद स्टेशन मास्टर गाड़ी खण्ड के बाहर संकेत पिछले स्टेशन को देगा ।

**टिप्पणी:-**जब कोई चालू लाइन किसी स्टेबिल लोड, वैगन, वाहन या किसी ऐसी गाड़ी जिसे क्रसिंग या अग्रता देने के लिए रोका गया है या किसी गाड़ी के आगमन के कारण भरी हुई हो तो अगर उसी दिशा में कोई शंटिंग कार्य आदि ना कराना हो तो तुरन्त गाड़ी के पीछे के कांटो को उस लाइन के विरुद्ध लगा देना चाहिए।

#### 6.6 गाड़ियों को भेजना :

- जब गाड़ी जाने के लिये तैयार हो स्टेशन मास्टर गाड़ी को रवाना करने के लिये सम्बंधित कांटेवाले को कांटों की सैटिंग व लॉकिंग के लिये बताते हुये अग्रिम स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करेगा।
- किसी गाड़ी को रवाना करने के पूर्व स्टेशन प्रबंधक सम्बंधित समपार फाटकों का बन्द होना सुनिश्चित करेगा।
- स्टेशन मास्टर द्वारा बताने पर कांटे वाला जहाँ ये गाड़ी निकलनी हैं उस कांटा क्षेत्र में जायेगा तदुपरान्त लोकेशन बॉक्स खोलकर उसमें से स्टेशन मास्टर द्वारा विद्युतीय संयोजन द्वारा दी गई चाबी निकालेगा इस चाबी का प्रयोग आवश्यक दिशा के कांटे सैट एवं लॉक करने के लिये करेगा।

- iv. वह चाबी जोकि सम्बन्धित रूट लीवर से निकाली गई हैं विद्युतीय संयोजन से स्टेशन मास्टर को वापस करेगा।  
v. सम्बन्धित रूट लीवर की चाबी मिलने के बाद स्टेशन मास्टर नामित लाइन जिसमें गाड़ी को छोड़ा जाना हैं के प्रस्थान सिगनल ऑफ करेगा। (अर्थात् अग्रिम प्रस्थान सिगनल पहले ऑफ किया जायेगा तब सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल ऑफ किया जाना चाहिए) (सा. एवं सहा. नियमा. के सहा. नि. 3.42/1)

### 6.7 बिना रूके सीधे गुजरने वाली गाड़ियां :-

#### a. मुख्य लाइन से :-

गति 50 किमी/घण्टा से अधिक नहीं होना चाहिये एवं वाल टोकन बाह्यतम सम्मुख कॉटे पर से दिया जायेगा।

#### b. लूप लाइन से :-

गति 15 किमी/घण्टा से अधिक नहीं होना चाहिये और वाल टोकन स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से दिया जायेगा।

- i. गाड़ी साधारणतया अप मुख्य डाउन लाइन पर से ही स्टेशन पर बिना रूके जाने की अनुमति है। यदि मुख्य लाइन घिरी हुई है तो बिना रूकने वाली गाड़ी अप लूप डाउन प्रथम या द्वितीय लाइन से अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकती है, बशर्ते कॉटे सही तरीके से सैट और तालित किये गये हैं और सम्बन्धित सिगनल 'ऑफ' कर दिये गये हैं।  
ii. जब कभी गाड़ी अप मुख्य डाउन लाइन अथवा अप लूप डाउन लाइन से बिना रूके जाना हो, स्टे.मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राइवेट नम्बर सहित लेगा और गाड़ी के जाने के लिए सही सिगनल 'ऑफ' करेगा यानि अग्रिम प्रस्थान सिगनल पहिले और फिर प्रस्थान सिगनल और तब ही आगनम सिगनल 'ऑफ' करें।  
iii. यदि कोई गाड़ी स्टेशन से बिना पिछली बत्ती/पिछली तख्ती स्टे.मास्टर को दिखलाई देती है तो उसे "गाड़ी खण्ड से बाहर" संकेत पिछले स्टेशन को नहीं देना चाहिए बल्कि अगले स्टेशन को "गाड़ी बिना पिछली बत्ती/पिछली तख्ती से गई" संकेत देगा तथा खण्ड नियंत्रक को भी सूचित करना चाहिये।

### 6.8 खराबी के दौरान संचालन:-

#### a. सिगनलो एवं इन्टरलॉकिंग में खराबी:-

- i. जब कोई सिगनल खराब हो जाता है तो सामान्य नियम 3.69, 3.70, 3.71 में उल्लेखित पद्धति का अनुपालन किया जाना चाहिए।  
ii. स्टेशन मास्टर टी. 3.69-(3बी) खराब सिगनल 'ऑन' स्थिति में पास करने के लिये जारी करने से पहले दूर एवं पास सिरे के कॉटे वालो को कांटों को सही सैट क्लैम्प व पैड तालित करने के बाद गाड़ी के लोको पायलट को टी 369-(3बी) देने का स्पष्ट निर्देश देगा। स्टेशन मास्टर दूर एवं पास सिरे के कॉटे वाले द्वारा कॉटो को सैट व तालित होना संवय सुनिश्चित प्रईवेट नं0 के आदान-प्रदान के अंतर्गत करेगा।  
स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर (विशेष तोर पर बुलाये गये ऑफ ड्यूटी) सा.एवं सहा. नियमा. के सहा. नि. 3.68/1, 3.68/7 और 3.51/1 के अनुसार यात्री गाड़ियों के मामले में व्यक्तिगत रूप से जांचने के लिये जिम्मेदार है।

#### b. कांटों की खराबी :-

जब कोई कांटा खराब हैं और पैनल पर संकेत उपलब्ध नहीं है, सहा.नि. 3.77-1 के अनुसार अवश्य कार्यावाही की जाये अर्थात् कांटों का दुबारा संचालन करना चाहिए और किसी अवरोध आदि के लिये निरीक्षण किया जाये और एस एण्ड टी कर्मचारी को सूचित करना चाहिए। स्टेशन मास्टर मास्टर को सा. एवं सहा. नियमा. के सहा. नि. 3.68-1 के अनुसार कांटों के ऊपर से परिचालन की अनुमति नहीं देना चाहिए जब तक इस सही तरह से सेट/क्लैम्प और पैड लॉक स्वयं के सर्वेक्षण के अंतर्गत कर दिया गया हो। (सहा. नि. 3.51-1 और सहा. नि. 3.68/7 का भी पालन किया जाना चाहिए।

#### c. सिगनल बत्ती का खराब होना:-

- i. सहा. नि. 3.69-सी (ii) के प्रवधान अनुसार जब कभी रंगीन रोशनी वाले सिगनल व्यवस्था में विद्युतीय या अन्य खराबी के कारण आगमन सिगनलों की घटना में सिगनल बुझ जाते हैं (प्रकाशित नहीं) तब स्टेशन प्रबंधक पिछले/नामित स्टे. का स्टेशन मास्टर को सिगनल पर कोई रोशनी के न होने की लोकोपायलेट को सूचना देने के लिये टी-409 (सतर्कता आदेश) फॉर्म टी-369(1) के साथ जारी करने के लिये सूचित करेगा। इसलिये लोको पायलट को अत्याधिक सतर्क रहना चाहिए और बाहर की ओर खराब सिगनल के पास खड़े कांटे वाले/पोटर के हाथ सिगनल को देखने और उसके संकेतो का पालन करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

- ii. जैसे ही विद्युत आपूर्ति सामान्य हो जाती है और सिगनल पुनः जलने लगते हैं उपरोक्त (a) में दर्शायी सूचना रद्द की जायेगी गाड़ी का लोको पायलट सिगनल के संकेत का पालन करेगा।
- d. **एक्सल काउंटर का खराब होना/गाड़ी सिगनल ऑन की स्थिति में पार करना :-**  
लागू नहीं है।
- e. **ट्रैकसर्किट/एक्सल काउंटर का खराब होना :-**  
अप मुख्य डाउन लाइन पर ट्रेक सर्किटों/एक्सल काउंटरों की खराबी के मामले में लाइन के साफ होने की सुनिश्चिता कर लेने पर गाड़ियों को लिया जायेगा और स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर उस लाइन पर कोई गाड़ी लेने के पहले लाइन के साफ होने की सुनिश्चित के लिये स्वयं जिम्मेदार है जिसका ट्रैकसर्किट /एक्सल काउंटर खराब हो चुका है।
- f. **ब्लॉक उपकरणों का खराब होना :**
- i. जब भिण्ड-सोनी एवं भिण्ड-उदी के मध्य गाड़ी परिचालन के लिये स्टेशन मास्टर के कार्यालय में नील्स ए टाइप ब्लॉक उपकरण में जब बाहरी प्रभावों के कारण खराबी आ जाये जिससे सुईयों का गलत संचालन हो और गलत घंटी बजने अथवा अन्य रूप से खराब हुये की तरह कार्य करें तो उनहे खराब हुआ माना जाना चाहिये ।
- ii. जब भिण्ड-सोनी एवं भिण्ड-उदी के मध्य गाड़ियों के संचालन के लिये लगाये गये नील के 'ए' टाइप के बॉल टोकन ब्लॉक उपकरण बाहरी प्रभावो द्वारा प्रभावित हो जाये जिससे सुईयों का गलत संचालन हो ओर गलत घंटियां बजे अथवा कोई अन्य कारणों से खराब रूप से कार्य करते दिखें तो उन्हे खराब हुआ समझा जाना चाहिए और गाड़ियों का संचालन जी एण्ड एस आर के नियम-14.13 के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए।  
ब्लाक यंत्र के विफल होने के समय स्टे. मास्टर सम्बंधित स्टेशन को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ इस आशय की सूचना देगा। इसके बाद स्टे.मास्टर ब्लाक यंत्र में लगे टेलीफोन अथवा दोनों के मध्य लगे स्थाई टेलीफोन अथवा कंट्रोल फोन अथवा वीएचएफ सेट के निर्धारित चैनल (चैनल 5 सोनी के लिये तथा चैनल 6 उदी के लिये) अथवा साधा.नि. 14.13 के अनुसार अन्य दूर संचार के मान्य साधन द्वारा लाइन विलयर मांगेगा। इस आशय का पूरा विवरण टी/ए 1425 या टी/बी 1425 (जो लागू हो) तथा ट्रेन सिगनल रजिस्टर में दर्ज करेगा।  
(विस्तृत विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट "ख" देखें)
- g. **एक्सल काउण्टर द्वारा सत्यापित ब्लॉक का खराब होना:-** लागू नहीं है।
- h. **खराब कांटो पर संचालन का नियम:-** जब कभी कांटे क्षतिग्रस्त/खराब हो जाये तो जैसा कि जी.एण्ड.एस. आर के जी.आर-3.77 में दिया गया है के अनुसार कार्य किया जायेगा।
- i. **अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी को लेना:-** जी.एण्ड.एस.आर के एस.आर-5.09 के अनुसार कार्य किया जायेगा।
- j. **किसी बिना सिगनल वाली लाइन पर खराबी के दौरान या किसी ट्रॉली या लाईट इंजन के द्वारा घिरे होने के दौरान गाड़ी का आगमन:-** लागू नहीं।
- k. **स्टेशन तथा समपार फाटक के मध्य संचार की विफलता :-**  
स्टेशन तथा समपार फाटक के मध्य संचार के विफल होने के दौरान गाड़ियों के आगमन, प्रस्थान एवं शाटिंग से सम्बन्धित निर्देश स्टेशन मास्टर गेटमैन को लिखित में भेजेगा और इस बावत् गैटमैन की पावती भी लेगा।
- 6.9 **मोटर ट्रालियों/मेटेरियल लारियों इत्यादि के संचालन के लिए कोई प्रावधान:-**  
मोटर ट्रालियों/मेटेरियल लारियों इत्यादि के संचालन के लिए सामान्य नियम 15.18 से 15.28 तथा उनके अन्तर्गत आने वाले सहायक नियमों के प्रावधान का अनुपालन किया जाना चाहिए।
7. **लाइन अवरूद्ध होना (सा.नि-5.19 एवं सहा.नि-5.19/1) :-**  
जब कभी किसी चालू लाइन को ब्लॉक किया जाना आवश्यक हो तो स्टेशन मास्टर खण्ड नियंत्रक से आज्ञा लेगा तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किये जायेगे-

- i. यदि कोई लाइन धिरी है या उस पर कोई डिब्बा रह गया है या इंजन है या कोई गाड़ी साइडिंग में है तो उन्हें:-
  - a. जंजीर एवं पैड लॉक लगाना।
  - b. लकड़ी का गुटका या स्प्रेग द्वारा अभिरक्षा।
  - c. दूसरे वाहन द्वारा जोड़ना।
- ii. दोनों सिरो के 6-6 वैगनों के हैण्ड ब्रेक पूरी तरह से कसे जायेगे आगे 6 वैगनों के हैण्ड ब्रेक सहायक लोको पायलट द्वारा और पीछे के 6 वैगनों के हैण्ड ब्रेक गार्ड द्वारा कसे जायेगे। यदि कोचिंग वोगी स्टेविल है तो एस.एल. आर के गार्ड ब्रेक के हैण्ड ब्रेक कसे जायेगे
- iii. कांटे धिरी लाइन के विरुद्ध सैट करके क्लैप वा लॉक किये जायेगे और यदि स्कॉच ब्लॉक है तो उनका का भी प्रयोग पृथक्करण के लिये स्टेशन मास्टर द्वारा करना चाहिए।
- iv. सम्बन्धित सिगनल के प्वाइंट बटन पर स्टॉप कॉलर रखा जायेगा।
- v. स्टे.मास्टर अपनी डायरी और ट्रेन सिगनल रजिस्टर. में धिरी हुई लाइन की प्रविष्टि करेगा।
- vi. लाइन के रैक द्वारा धिरी होने से वा उसके सिक्योर होने तथा सभी सावाधनियाँ बरतने के पश्चात् स्टेशन मास्टर खण्ड नियन्त्रक से उसकी अभिरक्षा के बारे में प्राइवेट नम्बर का अदान प्रदान करेगा।
- vii. सामान्य नियम वा सहायक नियम के सहायक नियम 5.19 एवं सहायक नियम 3.38/1 का पालन किया जायेगा।
- viii. सामान्य नियम वा सहायक नियम के सहायक नियम 5.19 एवं सहायक नियम 3.38/1 का पालन किया जायेगा।

### 8.1 सामान्य सावधानियाँ

- i. सभी शंटिंग गाड़ी के गार्ड/स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर अथवा शंटिंग के प्रभारी व्यक्ति के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अन्तर्गत की जानी चाहिये।
- ii. सभी शंटिंग परिचालनों के लिये शंटिंग शुरू करने से पहले गाड़ी के गार्ड एवं लोको पायलट को प्राधिकार टी-806 जारी किया जाना चाहिये।
- iii. सम्बन्धित लाइन पर शंटिंग कार्य हेतु प्रस्थान सिगनलों को "ऑफ" किया जाना चाहिये।

### 8.2 किसी आने वाली गाड़ी के सामने शंटिंग करना :-

- ए. अनुमति नहीं है क्योंकि सभी लाइने नॉन-आइसोलेटिड है।

### 8.3 शंटिंग करने की मनाही कोई विशेष लक्षण :-

- i. लूज शंटिंग की मनाही है।
- ii. हाथ शंटिंग की मनाही है।
- iii. सभी प्रकार की शंटिंग गार्ड/स्टेशन मास्टर की देखरेख में की जायेगी।
- iv. वाहनों का बचाव सहायक नियम 5.23-2 एवं एस आर 5.23-1 के अनुसार करना चाहिये। दूसरे प्रावधानों के लिये ढलान पर शंटिंग के बारे में मैन लाइन से पृथक्करण नहीं हो तो सहा. नि. 5.20 का पालन अवश्य किया जायें।

- 8.4 **इकहरी लाइन पर शंटिंग:-** बी.डब्ल्यू.एम के पैरा-7.27 एवं 7.28 तथा जी.एण्ड.एस.आर के जी.आर-8.06 के अनुसार शंटिंग की जायेगी।

**ब्लॉक उपकरण की खराबी के दौरान शंटिंग :-** जी एण्ड एस आर के नियम संख्या-14.13 अनुसार एवं लोको पायलट/गाड़ी के गार्ड को टी'806 देकर करायी जा सकती हैं।

- 8.5 **दोहरी लाइन पर शंटिंग:-** इकहरी लाइन होने के कारण लागू नहीं है।

### 8.6 स्टेशन खण्ड के बाहर की ओर शंटिंग करना :-

बिना ब्लॉक बैक किये होम सिगनल के बीच शंटिंग की जा सकती है, बशर्ते किसी भी गाड़ी को आने के लिए लाइन क्लियर न दिया गया हो।

यदि "क्या लाइन क्लियर है" का संकेत खण्ड के दूसरी तरफ से पूछा जाता है और यदि खण्ड अभी भी धिरी हुआ है तो तुरन्त सहायक नियम 8.11-1 के अनुसार खण्ड को "ब्लॉक बैक" कर दिया जायेगा।

### 8.7 स्टेशन सेक्शन में शंटिंग करना :-

सामान्य एवं सहायक नियमावली के सामान्य नियम 8.09 के अनुसार यदि किसी गाड़ी को लाइन क्लियर भी दे दिया गया है तो भी स्टेशन सेक्शन में शंटिंग की जा सकती है, यदि सम्बन्धित सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में रखा गया है।

जब किसी ऐसी लाइन के लिए सिगनल 'ऑफ' कर दिये गये हैं जो कि प्रथकत्व (आईसोलेटेड) नहीं है, ऐसे काँटे जिन पर होकर गाड़ी को गुजरना है उन पर कोई शंटिंग नहीं होगी, सामान्य एवं सहायक नियमावली के सामान्य नियम 8.10(2) के अनुसार।

### 8.8 डेड एण्ड साइडिंग में शंटिंग:-

1. स्टेशन मास्टर गाड़ी/वाहन के गार्ड को जो कि शंटिंग करेगा उसको स्पष्ट निर्देश देगा कि शंटिंग परिचालन के रूट में पड़ने वाले सभी कांटे सैट क्लैम्प व पैड लॉक होने चाहिये तथा शंटिंग परिचालन के लिये शंटिंग करने वाले इंजन एवं लाइनो के लिये लिखित मैमो दिया जायेगा। शंटिंग परिचालन के लिये शंटिंग करने वाले इंजन के लोको पायलट को टी-806 देगा। स्टेशन मास्टर ड्यूटी वाले कांटे वाले को आवश्यक क्लैम्प/पैड लॉक उपलब्ध करायेगा जो कि व्यक्तिगत रूप से कांटा क्षेत्र को सैट एवं पैड तालित करेगा। शंटिंग इंजन का लोको पायलट शंटिंग गार्ड के हाथ संकेतो का पालन करते हुये सावधानी से शंटिंग इंजन का लोको पायलट शंटिंग गार्ड के हाथ संकेतो का पालन करते हुये सावधानी से शंटिंग परिचालन करेगा।
2. वह शंटिंग परिचालन की समाप्ती पर एवं सुनिश्चित करने के बाद कि डेड एण्ड, उल्लंघन चिन्ह किसी भी अवरोध से साफ है। 5 जी एफ (11)/5 जी एफ (12) कांटे को सामान्य करेगा।

**ए.एण्ड डी साइडिंग में कार्यविधि:-** 5 जी एफ (11) कांटा सामान्य स्थिति में तालित रहता है। कांटे को अनलॉक करने की लिए स्टेशन मास्टर स्लाईड नम्बर-7 के एच.के.टी से चाबी निकली जाती है। चाबी तभी निकाली जा सकती है जब कांटा नम्बर 3 जी एफ (11) रिवर्स स्थिति में सैट एवं लॉक हो।

**छोटी साइडिंग में कार्यविधि:-** 5 जी एफ (12) कांटा सामान्य स्थिति में तालित रहता है। कांटे को अनलॉक करने की लिए स्टेशन मास्टर स्लाईड नम्बर-17 के एच.के.टी से चाबी निकली जाती है। चाबी तभी निकाली जा सकती है जब कांटा नम्बर 3 जी एफ (12) रिवर्स स्थिति में सैट एवं लॉक हो।

### 8.9 आउट ले साइडिंग की कार्यप्रणाली, यदि कोई हो :-कोई नहीं।

### 9.0 असामान्य परिस्थितियां :-

#### A. असामान्य परिस्थितियों में अनुपालन हेतु नियम :-

(असामान्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया)

- i. आंशिक अवरोध/बिजली संचार उपकरणों के खराब होने के दौरान ब्लॉक संचालन नियमावली के पैरा क्रमांक 1.18 में दिये गये संचार साधनों में से किसी एक साधन द्वारा लाईन क्लीयर प्राप्त किया जायेगा और स्टेशन मास्टर की पहचान के लिये पिछली तीन गाड़ियों के प्राइवेट नम्बरो को क्रॉस सत्यापन किया जायेगा।
- ii. लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में घिरे हुये ब्लॉक सेक्शन में प्रस्थान प्राधिकार सा. एवं सहा. नियमावली के सहा. नि. 6.05/2 का अनुपालन किया जाये।
- iii. ब्लॉक खण्ड में बिलम्बित गाड़ियां के लिये सा. नि. 6.04 का अनुपालन किया जाये।
- iv. मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल के ऑन होने पर चूक/पासिंग :- लागू नहीं है।
- v. एक्सल काउन्टर ब्लॉक/बी.पी.ए.एसी. की खराबी :- लागू नहीं है।
- vi. एम.टी.आर.सी. की खराबी :- लागू नहीं है।

- B. क्रेक हैन्डल द्वारा कांटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि :- लागू नहीं है।  
 C. कालिंग ऑन सिगनल का परिचालन करने के पूर्व रेलरूट के क्लीयरेंस का प्रमाणन :- लागू नहीं है।  
 D. कांटों, रूट परिरूट/एक्सल काउंटर और इंटरलॉकिंग की खराबी की सूचना :- सा.नि. 3.68 को अनुपालन करें।

### 9.1 संचार व्यवस्था का संपूर्ण भंग होना:

भिण्ड-सोनी और भिण्ड-उदी के बीच संचार व्यवस्था के सम्पूर्ण साधन भंग हो जाने पर अथवा जब निम्नलिखित साधनों में किसी भी एक साधन द्वारा 'लाइन क्लीयर' प्राप्त न की जा सकें जैसे कि:-

- ब्लॉक उपकरण
- ब्लॉक उपकरण के साथ लगाये गये टेलीफोन
- कन्ट्रोल फोन
- बी.एस.एन.एल
- वी एच एफ सेट

गाड़ीयों का संचालन सहायक नियम 6.02-4 में दी गयी विधि के अनुसार किया जायेगा।

### 9.2 किसी दोहरी लाईन खण्ड पर अस्थायी इकहरी लाईन का संचालन:-

(इकहरी लाइन खंड होने के कारण लागू नहीं है।)

### 9.3 अशक्त गाड़ी की सहायता के लिये लाईन क्लियर अवरोधित खण्ड में किसी गाड़ी को प्राप्त किये बिना प्रस्थान प्राधिकार या ब्लॉक टिकिट के अन्तर्गत गाड़ियां भेजना :-

किसी अशक्त गाड़ी की सहायता के लिये अवरोधित खण्ड में किसी गाड़ी को भेजना अवश्य हो जाये तो स्टेशन मास्टर (टी/ए 602) प्राधिकार देगा :-

- ब्लॉक खंड के दूसरे सिरे पर स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।
- सहायता गाड़ी के गार्ड और लोको पायलट को परिस्थियों के बारे में सूचित करेगा।
- सहायता प्रदान करने जा रही गाड़ी के लोको पायलट को निम्नलिखित प्राधिकार पत्र सौंपेगा :-
  - बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार।
  - सहायक इंजन/गाड़ी को अवरोधित ब्लॉक खण्ड में जाने के लिये प्राधिकार पत्र टी/ए 602।

### 10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य (जी.आर. 3.61) :-

- इस स्टेशन पर कोहरे के दौरान अप दिशा का प्रस्थान सिगनल नम्बर एस-20 को दृश्यता परीक्षण लक्ष्य नामित किया गया है।
- जब कभी कुहासा, धूल, आंधी या वर्षा के कारण स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से अप या डाउन का नामित स्टार्टर सिगनल दिखाई न दे तब स्टेशन मास्टर सा. एवं सहा. नियम. के सहा. नियम 3.61-1 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

## 11. स्टेशन पर आवश्यक उपकरण:-

(आवश्यक उपकरणों के लिये परिशिष्ट "ई" देखें।)

## 12. कोहरे के मामले में नामित किये जाने वाले कोहरे सिगनल मैन के नाम:-

कोहरे के मामले में बुलाये जाने वाले नामित कोहरा सिगनल मैनों (कुहासियों) के नाम

क्रमांक	कोहरा सिगनल मैन (कुहासी का नाम)	पदनाम	विभाग	टिप्पणी
केवल स्थायी कर्मचारियों को नामांकित किया जायेगा।				
स्टेशन मास्टर भिण्ड				

## परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट 'ए' समपार फाटकों की कार्यप्रणाली

परिशिष्ट 'बी' सिगनल प्रणाली और अन्तर्पार्शन की प्रणाली तथा पर संचार व्यवस्था.

परिशिष्ट 'सी' टक्कररोधी उपकरण (रक्षा कवच)

परिशिष्ट 'डी' गाड़ी पासिंग कमचारियों की ड्यूटी

परिशिष्ट 'ई' स्टेशन पर उपलब्ध कराये गये आवश्यक उपकरणों की सूची

परिशिष्ट 'एफ' डीके, हाल्ट, आई.बी.एच., आ.ई.एस. और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम .

परिशिष्ट 'जी' विद्युतीकृत खंडों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी & जी)/ झांसी ।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.)/ झांसी ।

## परिशिष्ट 'ए'

### 1 समपार फाटक का वर्णन :

#### 1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

01	समपार फाटक की संख्या	45
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	इंजीनियरिंग ('सी' क्लास )
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/ खण्ड अभियंता (रेलपथ)	एसएस ई पी वे ग्वालियर(पूर्व)
04	स्थिति (जगह) किमी पर	1296 / 2-3
05	स्टेशन पर	-
06	स्टेशन.....और.....के बीच	सोनी-भिण्ड
07	ब्रॉड गेज/ मीटर गेज/ नैरोगेज	ब्रॉड गेज
08	सिंगल लाइन/डबल लाइन/मल्टीपल लाइन	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात हेतु "खुला"
10	<a href="#">इन्टरलॉकड</a> / <a href="#">नॉनइन्टरलॉकड</a>	नॉन-इन्टरलॉकड
11	अन्तर्पार्शन के साधन	नहीं है।
12	गेट सिगनलों का प्रावधान i. अप लाइन ii. डाउन लाइन	नहीं है। नहीं है।
13	सिगनलिंग व्यवस्था	नहीं है।
14	संचार के साधन- टेलीफोन/घंटी आदि।	टेलीफोन स्टेशन मास्टर भिण्ड के साथ
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.50 मी
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	पृथ्वी पुरा-पवई रोड
18	पक्की/ कच्ची	पक्की
19	पहुंच मार्ग	पक्की
20	सड़क की चौड़ाई	4.00 मी
21	रोड क्रॉसिंग कोण (स्क्यू गेट के मामले में)	70°
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो) i. उत्तर/पूर्व की ओर ii. <a href="#">दक्षिण/पश्चिम</a> की ओर	1:30 1:30
23	सड़क की सीधाई (सीधा/घुमावदार) i. उत्तर/पूर्व की ओर ii. <a href="#">दक्षिण/पश्चिम</a> की ओर	सीधा सीधा
24	हाइट गेज का प्रावधान	नहीं है।
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	7.50 मीटर
27	समपार फाटक के बीच सड़क की सतह	पक्की
28	रम्बल स्ट्रिप्स/ स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	20 मीटर
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0. . . . . दिनांक. . . . .	7755 दिनांक 06.08.2018
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	06.08.2021
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	02
35	समीपस्थ रेलवे चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	ग्वालियर
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	इटहर
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है।



**1.2 फाटक के उपस्कर:-**

01	हाथ सिंगनल बत्ती, ट्राई कलर	03
02	हाथ सिंगनल झंडी, हरी	01 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिंगनल झंडी, लाल	03 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर फ्लैग लाल	03
05	लाल बैनर फ्लैग प्रदर्शन हेतु खम्भे	02
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	02 स्टॉप निशान सहित
07	पटाखे	10 एक प्लास्टिक के केस में
08	गेटलैम्प	02
09	टामीबार/सब्ल	01
10	मोर्टर पेन (तसला)/धमेला	01
11	कुदाल/फावड़ा	01
12	हथौड़ा	01
13	गैंती	01
14	झंडियों के लिए डिब्बा	01
15	तेल का पीपा	01
16	पानी का बर्तन/बाल्टी	01
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	01
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा (यदि वह चश्मा लगाता हो)	01
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	01
20	टोकरी	01
21	सीटी	01
22	दीवार घड़ी	01

**1.3 गेट लॉज में रखे जाने वाले अभिलेख:-**

ऊपर दिये गये उपस्करों के अतिरिक्त निम्न दस्तावेज गेट पर रखें जायेंगे।

- 01 फाटक संचालन निर्देश (हिन्दी/अंग्रेजी में)
- 02 गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी/अंग्रेजी में)
- 03 उपकरणों एवं पुस्तकों की सूची
- 04 ड्यूटी रोस्टर
- 05 गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण-पत्र
- 06 गेटमैन विवरण सम्बन्धी बाँयोडाटा, नेत्र परीक्षा, प्रारम्भिक/पुनश्चर्या, पाठ्यक्रम, संरक्षा शिविर आदि के लिए सहित।
- 07 दुर्घटना रजिस्टर
- 08 समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस) का अभिलेख
- 09 जन शिकायत पुस्तिका
- 10 निरीक्षण पुस्तिका

- 1.4 प्रचालन की पद्धति :-** गेट खोलने एवं बन्द करने सम्बन्धी प्रचालन पद्धति विस्तृत रूप से स्टेशन संचालन नियम तथा फाटक संचालन नियम निर्देश में स्थानीय प्रचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं का समावेश करते हुए दी गयी है। जब समपार फाटक सड़क यातायात पारगमन के लिए खोला जाना आवश्यक हो तो गेटमैन पहुँचने वाले सड़क यातायात से सबसे दूर वाले फाटक को खोलेगा और फिर सबसे पास वाले फाटक को खोलेगा।
- 1.5 गेटमैन की ड्यूटी :-**
1. **सतर्कता:-** गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेंगी।
  2. **गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति :-**  
गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा—
    - i. गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।
    - ii. गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाहिने और बाये हाथ में पकड़े रहेगा।
    - iii. गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।
    - iv. वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।
  - 3 **गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-**
    - i. गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर फ्लैग/लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन-इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार फाटक हो।
    - ii. गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियाँ प्रकाशित हैं तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती हैं।
    - iii. गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।
    - iv. सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।
    - v. गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गर्म धुरा, लटकती हुई चेन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वैगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे— ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रेकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।
    - vi. गेटमैन किसी भी सिगनल को दुहराने के लिए तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वॉकी-टॉकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।
    - vii. यदि लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट क्षतिग्रस्त अथवा अव्यवस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चैन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।
    - viii. गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैंगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रातिशीघ्र देगा।
    - ix. गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
    - x. गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
    - xi. गेटमैन फाटक संचालन निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।

- xii. गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।
- xiii. गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (फ्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।
- xiv. गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दुरमुस करेगा।
- xv. गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ताओं को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।
- xvi. गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

#### 4. गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही-

- यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में कोई असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा:-
- i. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को सचेत करने के लिए दिन में लाल झंडी और रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
  - ii. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रूकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा, परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
  - iii. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से, हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
  - iv. यदि लोको पायलट और गार्ड का ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।

#### 5. समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-

- i. समपार फाटक पर अवरोध के मामले में गेटमैन, गेट सिगनल, यदि है, को ऑन अवस्था में बनाये रखेगा।
- ii. यदि वह अवरोध को हटाने में असमर्थ है तो तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट न. के आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलिफोन द्वारा सम्बद्ध है।
- iii. यदि स्टेशन मास्टर से 2 या 3 प्रयासों के बाद भी जवाब नहीं मिलता है तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा, फिर टेलीफोन से सूचना देगा।

#### ए) इकहरी लाइन खंड पर -

- i. गेटमैन दिन के समय एक लाल बैनर फ्लैग तथा रात के समय एक लाल फ्लैशिंग बत्ती अवरोध स्थल से 5 मीटर की दूरी पर इस निमित्त यथोचित लगाये गये खम्भों पर लगा देगा। जिस ओर से पहले गाड़ी आने की संभावना है उस ओर का बचाव वह पहले करेगा।
- ii. तब वह उसी प्रकार से दूसरी ओर का भी बचाव करेगा।
- iii. तब गेटमैन फाटक के बचाव के लिये पटाखे और दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती के साथ-साथ आगे जायेगा।

- iv. गेटमैन दिन के समय लाल झंडी एवं रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती दिखाते हुये उस ओर जिधर से गाड़ी आने की संभावना पहले हो ब्रॉड गेज पर 600 मीटर तक जायेगा। और लाइन पर एक पटाखा लगा देगा, उसके बाद वह समपार फाटक से ब्रॉड गेज पर 1200 मीटर तक जायेगा और ट्रैक पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन का बचाव करने के बाद वह रास्ते में मध्य स्थित पटाखे को उठाते हुये फाटक पर वापस आ जायेगा।
- v. उसके बाद वह दूसरी दिशा की ओर लाल हाथ सिगनल दिखाता हुआ आगे जायेगा और उपर्युक्त उप पैरा (iv) में वर्णित नियमानुसार पटाखे लगायेगा और अवरोध स्थल पर वापस लौटते समय रास्ते के मध्य स्थित पटाखे को उठा लेगा।
- vi. समपार फाटक पर वापस आ जाने के बाद अवरोध को हटाने के लिए कदम उठायेगा।
- vii. यदि गेटमैन यह देखता अथवा सुनता है कि गाड़ी आने वाली है जबकि वह बचाव करने के रास्ते में ही है तथा निर्धारित दूरी जहां पटाखे लगने हैं, से पहले है तो वह जितनी दूर जा सकता है वहां लाइन पर पटाखे लगा देगा।
- viii. उसके बाद वह लोको पायलट को सचेत करने के लिये आने वाली गाड़ी को दिन में लाल झंडी और रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती बारम्बार हिला कर रोकेगा।

**(बी) गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही –**

- i. गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियाँ जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा (ए) में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
  - ii. यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
  - iii. वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नम्बर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर अथवा खण्ड अभियन्ता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के सम्बन्ध में सन्देश वाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।
- 1.6** फाटक पर दृश्यता सम्बन्धी आवश्यकता, समपार सम्पर्क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर का प्रावधान और यातायात गणना (सेन्सस) आदि भारतीय रेलवे स्थायी रेल रूट नियमावली के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

**नॉन इंटरलॉकड इंजी. समपार फाटक-45 टेलीफोन सहित एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये "खुला" का संचालन अनुदेश**

**1. प्रचालन पद्धति :-**

- i- यह गेट नॉन-इण्टरलाक है।
- ii- इस गेट की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए खुला है।
- iii- इस गेट पर लिफ्टिंग बैरियर उपलब्ध है जो इंजीनियरिंग गेटमैन द्वारा संचालित किया जाता है।
- iv- इस गेट और स्टेशन मास्टर भिण्ड के मध्य संचार के लिए टेलिफोन उपलब्ध है।

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी &जी)/झांसी ।

मंडल अभियन्ता (उत्तर)/झांसी ।

## 2. प्राइवेट नम्बरों का आदान-प्रदान:-

### ए. जब गेट स्टेशन के प्रस्थान सिरे से सम्बद्ध हो-

- i. प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर गेटमैन को गाड़ी नम्बर, दिशा और गेट पर पहुँचने का सम्भावित समय प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेंगे।
- ii. ऐसी सूचना प्रस्थान सिगनल 'ऑफ' करने अथवा लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।
- iii. गेटमैन सूचना मिलने पर गेट को समय से बन्द करेगा और उसकी पुष्टि प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अर्न्तगत करेगा।
- iv. स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिगनल को गेटमैन से प्राइवेट नम्बर मिल जाने के बाद 'ऑफ' करेंगे।
- v. एक बार बन्द किया गया फाटक गाड़ी/गाड़ियों के पास होने पर अथवा गाड़ी संचालन योजना में परिवर्तन किये जाने आदि में स्टेशन मास्टर की अनुमति से सड़क यातायात की निकासी के लिये जैसा आवश्यक हो, गेटमैन द्वारा खोला जा सकता है। स्पष्ट रूप से यह तभी किया जा सकता है जब प्राइवेट नम्बरों का आदान-प्रदान नियंत्रक स्टेशन मास्टर से कर लिया जायेगा जो सुनिश्चित करेंगे कि समपार की ओर कोई गाड़ी संचालन नहीं है।

“इकहरी लाइन पर समपार फाटक से गाड़ी के पूरी तरह से गुजर जाने के बाद गेटमैन पिछली तख्ती/पिछली बत्ती को देखने के बाद फाटक को खोलने के लिए प्राधिकृत होगा”।

### बी. जब गेट स्टेशन के आगमन सिरे से सम्बद्ध हो-

- i. प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को गाड़ी नम्बर, विवरण, दिशा और गेट पर पहुँचने का सम्भावित समय प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेंगे।
- ii. ऐसी सूचना लाइन क्लियर प्राप्त करने से पूर्व दी जानी चाहिए।
- iii. आगमन सिरे पर स्टेशन मास्टर वही सूचना गेटमैन को प्राइवेट नम्बर आदान/प्रदान के अर्न्तगत देंगे।
- iv. गेटमैन फाटक बन्द करेगा और उसके बाद अपना प्राइवेट नम्बर स्टेशन मास्टर को देगा।
- v. तभी आगमन सिरे पर स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को लाइन क्लियर, स्वीकृत करेंगे।
- vi. एक बार सड़क यातायात के लिए बन्द किया गया फाटक किसी भी हालत में खोला नहीं जायेगा जब तक स्टेशन मास्टर द्वारा प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अर्न्तगत अधिकृत न कर दिया गया हो।

## 3. टेलीफोन संचार विफलता :- जब दूरभाष संचार विफल हो जाय अथवा 2-3 प्रयास के बावजूद गेटमैन की ओर से कोई जबाब नहीं मिलता तो निम्नांकित कार्य पद्धति अपनाई जायेगी-

- i. प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेगा।
- ii. सावधानता आदेश, लोको पायलट को लगातार सीटी बजाने और गेट पर सावधानीपूर्वक पहुँचने का सुझाव देगा।

- iii. गाड़ी के लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल देने पर सावधानीपूर्वक समपार फाटक पार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। यदि हाथ सिगनल नहीं दिखायी देता तो लोको पायलट गेट से पहले रूकने के लिये तैयार रहेगा और अपने सहायक लोकोपायलट को फाटक की स्थिति देखने के लिये प्रतिनियुक्ति करेगा। यदि गेट बंद है तो ऑल राइट सिगनल देगा और गेट बंद नहीं है तो सहायक लोकोपायलट गेट को अवश्य बंद करेगा और तब ऑलराइट सिगनल देगा। सहायक लोकोपायलट की अनुपस्थिति में लोकोपायलट गार्ड की सहायता ले सकता है और समपार को अवरोध मुक्त करके सहा.लोकोपायलट को लेने के लिये रूकेगा, सड़क यातायात पारण के लिये गेट को पुनः खोल देगा।
- iv. आने वाली गाड़ी के मामले में स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे पर स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा कि गेट पर टेलीफोन खराब हो गया है।
- v. प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- vi. स्टेशन मास्टर, गैंगमैन/पेट्रोलमैन अथवा पहली गाड़ी के लोकोपायलट द्वारा गेटमैन को भी सूचना देंगे कि टेलीफोन खराब हो गया है।
- vii. वह उत्तरदायी एस. एण्ड टी. स्टाफ को टेलीफोन की मरम्मत करने एवं सुधारने के लिए भी सूचित करेंगे।
- viii. एस.एण्ड टी. स्टाफ के द्वारा टेलीफोन सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन(कार्य पद्धति) लागू होगा।

#### 4. लिपिटिंग बैरियर अथवा लीफगेट की विफलता :-

- i. जब लिपिटिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बन्द न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर ट्रैक को फाउल नहीं करता है।
- ii. वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और फिर दूसरी ओर बाद में, खम्भे पर लगा देगा।
- iii. गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
- iv. गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झण्डी और रात के समय हरी बत्ती, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
- v. कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेगा।
- vi. वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरफ सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- vii. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिपिटिंग बैरियर/लीफगेट की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- viii. मेन्टेनेन्स स्टाफ द्वारा लिपिटिंग बैरियर/लीफगेट की मरम्मत करने के बाद पुनः संयोजन/फिट मैमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

#### 5. समपार फाटक पर अवरोध :-

- i. यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाय जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिपिटिंग बैरियर/लीफ गेट या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती गेट के दोनों ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।
- ii. गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को गेट पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।

- iii. कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुझाव दिया जायेगा कि आगमन/प्रस्थान सिगनलो को 'ऑन' की स्थिति में कर दें, यदि किसी गाड़ी के लिये 'ऑफ' किये गये हैं।
- iv. यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर द्वारा जबाब नहीं मिलता तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
- v. तब गेटमैन पटाखे, और दिन के समय लाल झंडी तथा रात के समय लाल फ्लैशिंग हाथ बत्ती सहित, गाड़ी आने की दिशा में अतिवेग से जायेगा और गेटमैन की ड्यूटी सम्बंधी सामान्य अनुदेश के अधीन मद सं. 1.5 (5) में निर्दिष्ट नियमानुसार गेट का बचाव करेगा।
- vi. उसके बाद वह दूसरी दिशा से भी गेट का बचाव करेगा।
- vii. वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा स्टेशन मास्टर को देगा कि गाड़ी को तब तक नहीं चलायेंगे जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाय कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
- viii. स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेंगे कि ब्लॉक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजें जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
- ix. ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
- x. यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है, तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे कि सावधानी से आगे बढ़ें और गेट सिगनल को 'ऑन' की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
- xi. गेटमैन संरक्षा चेन एवं पैडलाक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
- xii. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
- xiii. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर/लीफगेट को सुधारने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जाएगा।

#### 6. समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध :-

यदि पटरी के टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध गेट को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 5 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाये।

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी & जी)/झांसी ।

मंडल अभियन्ता (उत्तर)/झांसी ।

## 1 समपार फाटक का वर्णन :

## 1.1 मानव युक्त समपार फाटक पर निम्नलिखित विस्तृत विवरण रखे रहना चाहिए:-

01	समपार फाटक की संख्या	50
02	इंजीनियरिंग अथवा ट्रैफिक गेट	ट्रैफिक ('सी' क्लास )
03	नियंत्रणाधीन (स्टेशन मास्टर/ खण्ड अभियंता (रेलपथ)	स्टेशन मास्टर भिण्ड
04	स्थिति (जगह) किमी पर	1305/9-1306/0
05	स्टेशन पर	भिण्ड यार्ड
06	स्टेशन.....और.....के बीच	सोनी-भिण्ड
07	ब्रॉड गेज/ मीटर गेज/ नैरोगेज	ब्रॉड गेज
08	सिंगल लाइन/डबल लाइन/मल्टीपल लाइन	सिंगल लाइन
09	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात हेतु "खुला"
10	<u>इन्टरलॉकड / नॉनइन्टरलॉकड</u>	<u>इन्टरलॉकड</u>
11	अन्तर्पाशन के साधन	नहीं है।
12	गेट सिगनलों का प्रावधान i. अप लाइन ii. डाउन लाइन	नहीं है। नहीं है।
13	सिगनलिंग व्यवस्था	नहीं है।
14	संचार के साधन- टेलीफोन/घंटी आदि।	टेलीफोन स्टेशन मास्टर भिण्ड के साथ
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.50 मी
16	सड़क का प्रकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	भिण्ड-अतेहर रोड
18	पक्की/ कच्ची	पक्की
19	पहुंच मार्ग	पक्की
20	सड़क की चौड़ाई	5.50 मी
21	रोड क्रॉसिंग कोण (स्क्यू गेट के मामले में)	85°
22	सड़क का ढलान (यदि कोई हो) i. उत्तर/पूर्व की ओर ii. <u>दक्षिण/पश्चिम</u> की ओर	1:30 1:30
23	सड़क की सीधाई (सीधा/घुमावदार) i. उत्तर/पूर्व की ओर ii. <u>दक्षिण/पश्चिम</u> की ओर	सीधा सीधा
24	हाइट गेज का प्रावधान	नहीं है।
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	7.50 मीटर
27	समपार फाटक के बीच सड़क की सतह	पक्की
28	रम्बल स्ट्रिप्स/ स्पीड ब्रेकरों की लम्बाई	उपलब्ध है
29	सड़क के चिन्ह	उपलब्ध है
30	स्पीड ब्रेकर संकेतक के बोर्ड	उपलब्ध है
31	टी0 वी0 यू0. . . . . दिनांक. . . . .	61293 दिनांक 06.08.2018
32	यातायात गणना (सेंसस) की आगामी तिथि	06.08.2021
33	पटाखा लगाने के लिए सीमांकन (चिन्ह)	उपलब्ध है
34	कार्य करने वाले गेटमैनों की संख्या	01
35	समीपस्थ रेलवे चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	ग्वालियर
36	समीपस्थ प्राइवेट चिकित्सकीय सहायता (केन्द्र)	भिण्ड
37	उपकरणों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं	उपलब्ध है।



**1.3 फाटक के उपस्कर:-**

01	हाथ सिगनल बत्ती, ट्राई कलर	03
02	हाथ सिगनल झंडी, हरी	01 छड़ी में लगी हुई
03	हाथ सिगनल झंडी, लाल	03 छड़ी में लगी हुई
04	बैनर फ्लैग लाल	03
05	लाल बैनर फ्लैग प्रदर्शन हेतु खम्भे	02
06	अतिरिक्त चैन पैडलॉक सहित	02 स्टॉप निशान सहित
07	पटाखे	10 एक प्लास्टिक के केस में
08	गेटलैम्प	02
09	टामीबार/सब्बल	01
10	मोर्टर पेन (तसला)/धमेला	01
11	कुदाल/फावड़ा	01
12	हथौड़ा	01
13	गैती	01
14	झंडियों के लिए डिब्बा	01
15	तेल का पीपा	01
16	पानी का बर्तन/बाल्टी	01
17	मस्टर रोल के लिए कनस्तर	01
18	गेटमैन का अतिरिक्त चश्मा (यदि वह चश्मा लगाता हो)	01
19	गेट पर बाधा होने की दशा में समपार फाटक बचाव करने संबंधी डायग्राम बोर्ड	01
20	टोकरी	01
21	सीटी	01
22	दीवार घड़ी	01

**1.3 गेट लॉज में रखे जाने वाले अभिलेख:-**

ऊपर दिये गये उपस्करों के अतिरिक्त निम्न दस्तावेज गेट पर रखे जायेंगे।

- 01 फाटक संचालन निर्देश (हिन्दी/अंग्रेजी में)
- 02 गेटमैन नियम पुस्तक (हिन्दी/अंग्रेजी में)
- 03 उपकरणों एवं पुस्तकों की सूची
- 04 ड्यूटी रोस्टर
- 05 गेटमैन के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण-पत्र
- 06 गेटमैन विवरण सम्बन्धी बायोडाटा, नेत्र परीक्षा, प्रारम्भिक/पुनश्चर्या, पाठ्यक्रम, संरक्षा शिविर आदि के लिए सहित।
- 07 दुर्घटना रजिस्टर
- 08 समपार फाटक पर अन्तिम सड़क यातायात गणना (सेंसस) का अभिलेख
- 09 जन शिकायत पुस्तिका
- 10 निरीक्षण पुस्तिका

वरि.मंडल परि.प्रबंधक(जी&जी)/झांसी

मंडल अभि. (उत्तर)/झांसी

वरि.मं.सि. एवं दूर सं.अभि.(सम.)/झांसी

**1.4 प्रचालन पद्धति:-**

जब फाटक को सड़क यातायात हेतु खोलना हो तो गेटमैन फाटक खोलने से पहले सामान्य एवं सहायक नियमावली के सामान्य नियम 16.03 के अनुसार स्टेशन मास्टर से अनुमति लेगा।

**1.5 गेटमैन की ड्यूटी:-**

1. **सतर्कता:-**गेटमैन सतर्क रहेगा और किसी खतरे की आशंका होते ही त्वरित कार्यवाही हेतु तत्पर रहेगा। फाटक की चाबियाँ उसके निजी अभिरक्षा में रहेंगी।
2. **गाड़ी पास होते समय गेटमैन की स्थिति :-**  
गाड़ियों के गुजरते समय गेटमैन निम्न निर्दिष्ट रीति में खड़ा रहेगा-
  - i. गेटमैन आने वाली गाड़ी के सामने मुँह करके गेटलॉज के सामने खड़ा रहेगा।
  - ii. गेटमैन दिन के समय लाल और हरी झंडी अलग-अलग डंडे पर लपेटी/समेटी हुई क्रमशः दाहिने और बायें हाथ में पकड़े रहेगा।
  - iii. गेटमैन रात के समय सफेद प्रकाश युक्त हाथ बत्ती रेलपथ की ओर करके पकड़े रहेगा।
  - iv. वह अपने गले में एक डोरी लगी हुई सीटी लटकाये रहेगा।

**3 गेटमैन की नियमित ड्यूटी :-**

- i. गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि लाल बैनर प्लैग/लाल बत्ती रेलपथ के एक छोर से दूसरे छोर तक लगी है, जब कभी नॉन-इण्टरलॉक गेट खुली हालत में और आपातकाल अथवा अवरोध की स्थिति में अन्य प्रकार के समपार फाटक हो।
- ii. गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेटलैम्प और सभी गेट सिगनलों की बत्तियाँ प्रकाशित है तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक जलती रहती है।
- iii. गेटमैन ड्यूटी रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कड़ाई के साथ करेगा और तब तक गेट नहीं छोड़ेगा जब तक कि रिलीवर न आ जाये तथा कार्यभार ग्रहण न कर लें। यदि आपात स्थिति में गेट छोड़ना ही पड़े तो उसे गेट छोड़ने से पूर्व फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके ताला अवश्य लगा देना चाहिए।
- iv. सिवाय विशेष अनुदेशों के अधीन जहाँ अन्यथा निर्धारित न हो, वह सभी गुजरती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने हेतु तैयार रहेगा।
- v. गेटमैन सभी गुजरने वाली गाड़ियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक देखेगा और किसी भी असामान्य स्थिति जैसे गर्मधुरा, लटकती हुई चेन, लटकती हुई बैटरी, अन्य वाहन/वैगन/ट्रेन, बैटरी बॉक्स में लगी आग, लोड का खिसकना, गिरती हुई चीज जैसे-ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक बीम, संरक्षा ब्रैकेट, निर्वात सिलेण्डर या अन्य स्थिति जो संरक्षित गाड़ी संचालन में खतरा पैदा कर सकते हैं उनका तीव्र एवं सावधानी पूर्ण निरीक्षण करेगा।
- vi. गेटमैन किसी भी सिगनल को दुहराने के लिए तैयार रहेगा, जो गार्ड द्वारा लोको पायलट को वॉकी-टॉकी या अन्य साधन द्वारा दिया जा सकता है।
- vii. यदि लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट क्षतिग्रस्त अथवा अव्यवस्थित हो तो गेटमैन अतिरिक्त चेन को डिस्क एवं पैडलॉक सहित सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग में लायेगा।
- viii. गेटमैन समीप के स्टेशन मास्टर, गैंगमेट या खण्ड अभियंता/रेलपथ को गेट अथवा उससे संबंधित उपकरण में किसी भी खराबी की सूचना शीघ्रातिशीघ्र देगा।
- ix. गेटमैन जब समपार फाटक पर ड्यूटी पर हो तो बैज तथा निर्धारित यूनिफार्म पहनेगा।
- x. गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि जब वह ड्यूटी पर है उसके पास सक्षमता प्रमाण पत्र है।
- xi. गेटमैन फाटक संचालन निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा और इन अनुदेशों से भलीभाँति अवगत बना रहेगा।
- xii. गेटमैन सुनिश्चित करेगा कि गेट पर आपूर्ति किए गये उपस्कर अच्छी हालत में हैं और तत्काल प्रयोग के लिए तैयार हैं।

- xiii. गेटमैन देखेगा कि पहिए की कोर (फ्लेंज) के लिए पथ (चैनल) साफ रखा गया है।
- xiv. गेटमैन कच्ची सड़क की ऊपरी सतह को अच्छी तरह से पानी का छिड़काव एवं दुरमुस करेगा।
- xv. गेटमैन यह देखने के लिए चौकस रहेगा कि सड़क उपयोगकर्ताओं को गेट बंद होने के कारण कम से कम असुविधा हो।
- xvi. गेटमैन व्यक्तियों अथवा पशुओं के अतिचार (ट्रेस पासिंग) को रोकने का हर संभव प्रयास करेगा।

#### 4. गाड़ियों में असामान्य घटना के प्रकरण में कार्यवाही-

- यदि गेटमैन किसी गुजरती हुई गाड़ी में कोई असामान्य वस्तु देखता है तो वह निम्नांकित कार्यवाही करेगा:-
- i. वह गुजरती हुई गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को सचेत करने के लिए दिन में लाल झंडी और रात में फ्लैशिंग लाल बत्ती दिखा कर त्वरित कार्यवाही करेगा।
  - ii. ट्रेन पार्टिंग के मामले में गेटमैन रूकने का लाल हाथ सिगनल नहीं दिखायेगा, परन्तु ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित सिगनल दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती लम्ब रूप में ऊपर एवं नीचे करते हुये हिलायेगा।
  - iii. वह साथ-साथ लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिये लगातार सीटी बजाकर, बोलते समय हाथों की मुद्रा से, हाव-भाव अभिव्यक्त करके, ब्रेकवान पर गिट्टी फेंक कर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा लोको पायलट तथा गार्ड का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करेगा।
  - iv. यदि लोको पायलट और गार्ड ध्यान देने में विफल रहते हैं तो गेटमैन स्टेशन मास्टर को, यदि टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है समुचित कार्यवाही हेतु प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान के अन्तर्गत तत्काल सूचित करेगा।

#### 5(ए) समपार फाटक पर आपातकाल में कार्यवाही :-

- i. समपार फाटक पर अवरोध के मामले में गेटमैन, गेट सिगनल, यदि है, को ऑन अवस्था में बनाये रखेगा।
- ii. यदि वह अवरोध को हटाने में असमर्थ है तो तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को समपार फाटक पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नम्बर आदान प्रदान के अंतर्गत सूचित करेगा। यदि टेलिफोन द्वारा सम्बद्ध है।
- iii. यदि स्टेशन मास्टर से 2 या 3 प्रयासों के बाद भी जवाब नहीं मिलता है तो वह पहले फाटक का बचाव करेगा, फिर टेलीफोन से सूचना देगा।

#### (बी) गेटमैन द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही -

- i) गेटमैन रात के समय दो हाथ सिगनल बत्तियों जलायेगा और लाल बत्ती दिखाने/प्रदर्शित करने तथा पैरा (ए) में वर्णित नियमानुसार लाइन का बचाव करने संबंधी कार्यवाही करेगा।
- ii) यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो जो ट्रैक उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट या अन्य कोई भाग ट्रैक को उल्लंघित कर रहा हो या समपार फाटक पर कोई अन्य अवरोध हो तो गेटमैन त्वरित कार्यवाही करेगा।
- iii) वह सड़क वाहन के सभी विवरण वाहन का नम्बर, चालक व मालिक का नाम नोट करेगा और समीपस्थ स्टेशन मास्टर अथवा खण्ड अभियन्ता (रेलपथ) को विवरण और समपार फाटक पर अवरोध के सम्बन्ध में सन्देश वाहक अथवा अन्य साधन द्वारा संदेश भेजेगा।

- 1.6 फाटक पर दृश्यता सम्बन्धी आवश्यकता, समपार सम्पर्क मार्ग पर स्पीड ब्रेकर का प्रावधान और यातायात गणना (सेन्सस) आदि भारतीय रेलवे स्थायी रेल रूट नियमावली के पैरा 916, 918 एवं 919 में विवरण दिया गया है।

**लिफ्टिंग बैरियर सहित इंटरलॉकड ट्रैफिक समपार फाटक-50 टेलीफोन सहित एवं सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये "खुला" का संचालन अनुदेश**

**1. प्रचालन की प्रक्रिया:-**

- i. यह गेट इण्टरलॉकड है और उठने वाले नाको से विद्युत संचालित, पैनल द्वारा संचालित है।
- ii. इस गेट की सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिये खुली है।
- iii. इस गेट और स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के बीच टेलीफोन द्वारा संचार सुविधा उपलब्ध है।
- iv. गेट लॉज पर 1 लीवर जी एफ (10) उपलब्ध है।
- v. जब किसी गाड़ी को रीसीव या प्रस्थान करना हो, तब कांटे वाला नजदीकी सिरे और दूर वारे सिरे के ग्राउंड फ्रेम पर जायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि होम सिगनल से स्टेशन प्रबंधक कार्यालय तक लाईन अवरोध मुक्त है। वह जिस लाईन में गाड़ी लेना है उसके कांटो को उचित रूप से सैट एवं तालित करेगा और गेट का बन्द होना सुनिश्चित करेगा।
- vi. जब भी किसी गाड़ी को रीसीव करना हो या प्रस्थान करना हो या गेट के बाहर शंटिंग करना हो तब स्टेशन प्रबंधक कांटे वाले को गेट बन्द करने के लिये निर्देशित करेगे।
- vii. स्टेशन प्रबंधक दोनो कांटे वालो से यह सुनिश्चित कर लेगे कि गाड़ी लेने के लिये लाईन अवरोध मुक्त है तब वह दूर वाले सिरे के कांटे वाले को बैरिफिकेशन प्लंजर दबाने के लिये कहेगे।

**2 गेटमैन को सूचना :**

- i. स्टेशन मास्टर अपने सिरे से सम्बद्ध टेलीफोन के माध्यम से गेटमैन को समपार फाटक की ओर जाने वाली गाड़ियों के संचालन के बारे में सूचना देगा।
- ii. गेटमैन गेट बन्द करेगा और चाबी स्टे0 मास्टर को स्थानान्तरित करेगा।
- iii. तब आगमन/प्रस्थान सिगनल 'ऑफ' किये जायेगें।
- iv. स्टे. मास्टर यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि सड़क यातायात अधिक समय तक रुका न रहे, गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये सूचित करने से पूर्व अवश्य करेंगे कि गाड़ी प्रस्थान हेतु सब प्रकार से तैयार है।
- v. जब किसी गाड़ी का स्टेशन यार्ड की ओर से पायलट अथवा शंटिंग संचालन किया जाना है तो समपार के आर-पार किसी संचलन को अनुमति करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि गेट सड़क यातायात के लिए बन्द है, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

**3 टेलीफोन संचार विफलता :**

- यदि दूरभाष संचार विफल हो जाये अथवा 2-3 प्रयास के बाद भी गेटमैन की ओर से कोई जबाब नही मिलता तो निम्नांकित कार्यपद्धति अपनायी जायेगी।
- i. कार्परत स्टेशन मास्टर पोर्टर/पो. मैन द्वारा गेटमैन को लिखित सूचना सम्पूर्ण विवरण गाड़ी नम्बर विवरण दिशा आदि सहित भेजेंगे।

- ii. गेटमैन ऐसी सूचना मिलने पर गेट बन्द करेगा और स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को चाभी प्रेषित (ट्रांसमिट) करेगा जो उन्हें आगमन/प्रस्थान सिगनल 'ऑफ' करना सम्भव करेगा।
- iii. यदि गाड़ियों की अधिक आवृत्ति के कारण पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट को सिगनल 'ऑन' स्थिति में पास होने का लिखित प्राधिकार देंगे।
- iv. इसके साथ ही स्टेशन मास्टर लोको पायलट को, गेट पर सावधानीपूर्वक पहुँचने, लगातार सीटी बजाने के सुझाव सहित सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- v. गाड़ी के लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल देने पर सावधानीपूर्वक समपार फाटक पार करने हेतु निर्देशित किया जायेगा। यदि हाथ सिगनल नहीं दिखाई देता तो लोको पायलट गेट से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा और सुनिश्चित करेगा कि गेट साधारण नियम 3.73(2) (ख) के अनुपालन में बन्द है।
- vi. आने वाली गाड़ी के प्रकरण में स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बरो के आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा कि गेट पर टेलीफोन खराब हो गया है।
- vii. प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- viii. वह उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ टेलीफोन की मरम्मत करने/सुधारने के लिए भी सूचित करेगा।
- ix. एस.एण्ड.स्टाफ द्वारा टेलीफोन को सुधारने और पुनः संयोजन/फिट मैमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

#### 4 लिपिटिंग बैरियर की विफलता :

- i. जब लिपिटिंग बैरियर की विफलता के कारण गेट बन्द न किया जा सकता हो तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को प्राइवेट न. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर ट्रैक को फाउल नहीं करता है।
- ii. वह तत्काल दिन के समय लाल बैनर फ्लैग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती जिस ओर से गाड़ी आ रही है उस ओर पहले और दूसरी ओर बाद में, खम्भे पर लगा देगा।
- iii. गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को संरक्षा चैन और पैडलॉक द्वारा सुरक्षित करेगा।
- iv. गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध सुरक्षित करने के बाद गेटमैन दिन के समय हरी झण्डी और रात के समय हरी बत्ती, आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को दिखायेगा।
- v. कार्यरत स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी को सावधानता आदेश जारी करेगा।
- vi. वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी ओर से ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- vii. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिपिटिंग बैरियर की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- viii. मेन्टेनेन्स स्टाफ द्वारा लिपिटिंग बैरियर की मरम्मत करने के बाद पुनः संयोजन/फिट मैमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

**टिप्पणी:** जाने और आने वाली गाड़ियों को सिगनल 'ऑन' की हालत में पास करने के लिए नियमतः प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

### 5. गेटबन्द स्थिति में 'फाटक चाबी की विफलता -

- i. यदि फाटक चाबी, विंच, गेट सिगनल लीवर अथवा ट्रांसमीटर के बाहर न निकाली जा सके तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नं.आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेगा।
- ii. यदि आपात कालीन चाबी गेटलाज पर उपलब्ध है तो गेटमैन सील्ड बॉक्स को तोड़कर इसे बाहर निकाल लेगा, और सड़क यातायात के लिए फाटक खोल देगा।
- iii. आपातालीन चाबी बाक्स के सील्ड कवर तोड़ने की तारीख एवं समय रिकार्ड किया जायेगा और कारण सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- iv. उसके बाद गेट अन्तर्पाशन रहित मान किया जायेगा और गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान हेतु नोन इन्टर लॉक गेट की कार्यपद्धति अपनायी जानी चाहिए।
- v. स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
- vi. वह प्रस्थान से सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को ब्लॉक खण्ड में भेजने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं0 आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
- vii. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ को "की" ट्रांसमीटर को शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
- viii. एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा "की" ट्रांसमीटर की मरम्मत करने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद भी सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।
- ix. सुधार हो जाने के बाद आपात कालीन चाबी एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा इमरजेंसी "की" बॉक्स में वापस रख दी जायेगी और पुनः सील कर दी जायेगी।

### 6 गेटखुली स्थिति में फाटक चाबी की विफलता :

- यदि फाटक चाबी विंच/गेट सिगनल लीवर अथवा "की" ट्रांसमीटर से बाहर न निकाली जा सके तो गेटमैन तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर/स स्टेशन मास्टर को टेलीफोन नम्बर को प्राइवेट नं0 आदान प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेगा।
- i. उसके बाद गेट अन्तर्पाशन रहित मान लिया जायेगा, और गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान हेतु नॉन इन्टरलॉक गेट की कार्यपद्धति अपनायी जानी चाहिए।
  - ii. गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चयन एवं पैडलॉक के द्वारा गेट को सुरक्षित करेगा और हाथ सिगनल पर गाड़ी को पास करेगा।
  - iii. स्टेशन मास्टर जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे।
  - iv. वह प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी गाड़ी के लोको पायलट को ब्लॉक खण्ड में जाने से पूर्व उसी तरह सावधानता आदेश जारी करने के लिए प्राइवेट नं0 आदान-प्रदान के अन्तर्गत सूचित करेंगे।
  - v. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी एस.एण्ड.टी. स्टाफ को "की ट्रांसमीटर" की शीघ्र मरम्मत करने/सुधारने हेतु सूचित करेंगे।
  - vi. एस.एण्ड.टी. स्टाफ द्वारा ट्रांसमीटर की मरम्मत करने के बाद पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद भी सामान्य संचालन पुनः आरम्भ होगा।

### 7. फाटक पर अवरोध:-

- i. यदि गेट सड़क वाहन द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाय जो ट्रैक को उल्लंघित (फाउल) कर रहा हो अथवा यदि लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट या गेट का कोई अन्य भाग ट्रैक को फाउल कर रहा हो या गेट पर अन्य कोई अवरोध हो तो गेटमैन तत्काल दिन के समय लाल बैनर फलैंग और रात के समय लाल फ्लैशिंग बत्ती गेट के दोनों ओर इस निमित्त लगे हुए खम्भों पर लगा देगा।

- ii. गेटमैन इसके बाद तत्काल कार्यरत स्टेशन मास्टर को गेट पर खराबी/अवरोध के बारे में प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेगा।
- iii. कार्यरत स्टेशन मास्टर को सुझाव दिया जायेगा कि आगमन/प्रस्थान सिगनलो को ऑन की स्थिति में कर दें, यदि किसी गाड़ी के लिये ऑफ किये गये हैं।
- iv. यदि 2-3 प्रयास के बाद भी स्टेशन मास्टर द्वारा जबाब नही मिलता तो वह पहले गेट का बचाव करेगा और तब टेलीफोन पर सूचना देगा।
- v. वह सड़क वाहन के विवरण, चालक, मालिक का नाम नोट करेगा तथा स्टेशन मास्टर को देगा कि गाड़ी को तब तक नही चलायेंगे जब तक कि गेटमैन द्वारा यह आश्वस्त न कर दिया जाय कि सड़क यातायात लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट ट्रैक को उल्लंघित नहीं कर रहा है।
- vi. स्टेशन मास्टर प्रस्थान सिरे के स्टेशन मास्टर को भी प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचित करेंगे कि ब्लॉक खण्ड में वह अपनी ओर से कोई गाड़ी न भेजें जब तक कि ट्रैक अवरोध से मुक्त न हो जाये।
- vii. ट्रैक अवरोध से मुक्त हो जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नं. आदान-प्रदान के अर्न्तगत स्टेशन मास्टर को तदनुसार सूचित करेगा।
- viii. यदि गेट क्षतिग्रस्त है, किन्तु अवरोध मुक्त है, तब स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सावधानता आदेश जारी करेंगे कि सावधानी से आगे बढ़ें और गेट सिगनल को 'ऑन' की स्थिति में हरे हाथ सिगनल पर पार करें।
- ix. गेटमैन संरक्षा चेन एवं पैडलाक से गेट को सुरक्षित करेगा और यदि गेट पर अवरोध नहीं है तो हरा हाथ सिगनल दिखायेगा।
- x. स्टेशन मास्टर उत्तरदायी मेन्टेनेन्स स्टाफ को लिफ्टिंग बैरियर/लीफ गेट की मरम्मत के लिए शीघ्रातिशीघ्र सूचित करेंगे।
- xi. मेन्टीनेन्स स्टाफ द्वारा खराब लिफ्टिंग बैरियर/लीफगेट को सुधारने एवं पुनः संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही सामान्य संचालन पुनः आरम्भ किया जाएगा।

#### 8. समपार फाटक के समीप ट्रैक पर अवरोध:-

यदि पटरी के टूटने अथवा पेड़ के गिरने, सड़क वाहन द्वारा फाउल किये जाने अथवा डिरेलमेंट जो कि गेटमैन को दिखाई पड़ता हो, अवरोध गेट को फाउल करता हो, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर उपर्युक्त वर्णित मद सं. 7 के अनुसार कार्य पद्धति अपनायेंगे। गेटमैन सड़क यातायात के विरुद्ध गेट को बंद रखेगा जब तक कि ट्रैक अवरोध मुक्त न हो जाये।

वरि.मंडल परि.प्रबंधक(जी&जी)/झांसी

मंडल अभि. (उत्तर)/झांसी

वरि.मं.सि. एवं दूर सं.अभि.(सम.)/झांसी

## परिशिष्ट:- 'बी'

### सिगनल एवं इन्टरलॉकिंग पद्धति:-

भिण्ड स्टेशन एक 'B' श्रेणी मानक I (R) इन्टरलॉक बहुसंकेतीय रंगीन रोशनी वाले सिगनलों से सज्जित स्टेशन है।

### (ए) सिगनल:-

स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे 24 स्लाइड के स्टेशन मास्टर नियंत्रण ढाचे से कार्य करने वाले सिगनलों का विवरण नीचे दिये अनुसार है। स्लाइडो के ऊपर नम्बर दिया गया है और जो सिगनल स्लाइड से संचालित होते हैं उनको दर्शाया गया है।

### a. स्टेशन मास्टर की स्लाइड से संचालित सिगनल:-

स्लाइड नम्बर	विवरण
1.	डाउन मुख्य होम 9, 14 द्वारा रिलीज
2.	डाउन लूप द्वितीय होम 10, 15 द्वारा रिलीज
3.	डाउन लूप प्रथम होम 11, 16 द्वारा रिलीज
4.	डाउन मुख्य स्टार्टर 14 द्वारा रिलीज
5.	अप एव डाउन लूप द्वितीय स्टार्टर (डाउन) 15 द्वारा रिलीज
6.	अप एव डाउन लूप प्रथम स्टार्टर (डाउन) 16 द्वारा रिलीज
7.	5 जीएफ -11 ए एण्ड डी साईडिंग पर नियन्त्रण
8.	1 जीएफ -10 समपार फाटक नं-50 पर नियन्त्रण
9.	7 जीएफ -11 डाउन रूट लीवर (मुख्य) पर नियन्त्रण
10.	8 जीएफ -11 डाउन रूट लीवर (अप/डाउन लूप-2) पर नियन्त्रण
11.	9 जीएफ -11 डाउन रूट लीवर (अप/डाउन लूप-1) पर नियन्त्रण
12.	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल
13.	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल
14.	7 जीएफ -12 अप रूट लीवर (मुख्य) पर नियन्त्रण
15.	8 जीएफ -12 अप रूट लीवर (अप/डाउन लूप-2) पर नियन्त्रण
16.	9 जीएफ -12 अप रूट लीवर (अप/डाउन लूप-1) पर नियन्त्रण
17.	5 जीएफ -12 छोटी साईडिंग पर नियन्त्रण
18.	अप एव डाउन लूप प्रथम स्टार्टर (अप) 11 द्वारा रिलीज
19.	अप एव डाउन लूप द्वितीय स्टार्टर (अप) 10 द्वारा रिलीज
20.	अप मुख्य स्टार्टर 9 द्वारा रिलीज
21.	अप मुख्य होम 14, 9 द्वारा रिलीज
22.	अप लूप द्वितीय होम 15, 10 द्वारा रिलीज
23.	अप लूप प्रथम होम 16, 11 द्वारा रिलीज
24.	स्पेयर

### b. स्टेशन मास्टर का नियंत्रण ढांचा:-

i. स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक स्टेशन मास्टर नियंत्रण ढांचा लगाया गया है। स्टेशन मास्टर स्लाइड द्वारा स्टेशन मास्टर ढांचे से रिलीज स्थिति को तालित किया जा सकता स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन नियंत्रण ढांचा तालित है और उसकी चाबी व्यक्तिगत अभिरक्षा में है।

### ii. स्लाइड कालर्स/पिन रखना:-

स्लाइड कालर/पिन सा. नि. 3.38-1 के अनुसार स्टेशन मास्टर नियंत्रण ढांचा में ब्लॉक लाइन पर रखा जायेगा।



लाइन	स्लाइड कॉलर्स/पिने रखे जाने वाली स्लाइड का क्रमांक
अप मुख्य डाउन लाइन	1, 21
अप एवं डाउन लूप लाइन नम्बर-2	2, 22
अप एवं डाउन लूप लाइन नम्बर-1	3, 23

लाइन साफ हो जाने पर स्लाइड कॉलर/पिन हटा लेनी चाहिये ।  
कॉटो के साथ सिगनल विवरण की तालिका नीचे दर्शायी गई हैं ।

सिगनल	डिटेक्शन प्वाइंट	
	नॉर्मल	रिवर्स
1	(01), (03), जी एफ(11)	(- -)
2	(- -)	(01), जी एफ(11)
3	(01), (05), जी एफ(11)	(03), जी एफ(12)
21	(01), (03), जी एफ(12)	(- -)
22	(- -)	(01), जी एफ(11)
23	(01), (05), जी एफ(12)	(03), जी एफ(12)

(बी) कॉटो/सिगनल की कार्यप्रणाली:-

- सामान्यतः कांटे मुख्य लाइन के लिये सैट एवं तालित रहेंगे और सम्बन्धित मुख्य लाइन का रूट लीवर विपरीत स्थिति में रहेगा और चाबी रूट लीवर से निकालकर स्टे.मा.कार्यालय में स्थानान्तरित की जाये ।
- स्टे.मा. नियंत्रण ढांचा 9-ई प्रकार की लाकर्स (छोटी) सम्बन्धित 9 एच के टी के साथ हैं ।

क्र.म.	रूट
1	डाउन मुख्य लाइन का रूट लीवर
2	डाउन प्रथम लूप लाइन का रूट लीवर
3	डाउन द्वितीय लूप लाइन का रूट लीवर
4	समपार फाटक नं-50 सी का 1 जी एफ 10
5	अप मुख्य लाइन का रूट लीवर
6	अप प्रथम लूप लाइन का रूट लीवर
7	अप द्वितीय लूप लाइन का रूट लीवर
8	छोटी साईडिंग का 5 जी एफ 12
9	ए एण्ड डी साईडिंग का 5 जी एफ 11

- सामान्यता स्टेशन नियंत्रण की रूट नियंत्रण स्लाइड सामान्य स्थिति में लूप के लिये तालित रहेगी और मुख्य लाइन की चाबी स्टेशन मास्टर के पास रहेगी जो कि पैरा क्रं. 1 में दिये अनुसार लेगा ।
- सम्बन्धित लाइन (पास एवं दूर सिरा) की रूट नियंत्रण स्लाइड और ओवरलैप नियंत्रण स्लाइड खींचने पर सम्बन्धित होम सिगनल की स्लाइड रिलीज होगी ।
- लूप लाइन में गाडी लेने के लिये मुख्य लाइन रूट स्लाइड सामान्य रहेगी ई टाईप चाबी बाहर निकाल कर आवश्यक सिरा के कांटे लोकेशन में स्थानान्तरित करेगा ।

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी &जी)/झांसी ।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.)/झांसी ।

6. कांटेवाला चाबी प्राप्त करने के बाद मुख्य लाइन रूट लीवर को सामान्य करेगा और आवश्यक कांटे/लॉक लीवर को परिचालित करेगा और सम्बंधित लूप लाइन के रूट लीवर को खींचेगा। विपरीत दिशा में खींचे हुये लीवर से चाबी बाहर निकालेगा और स्टेशन मास्टर को स्थानान्तरित करेगा जिससे सम्बंधित लूप लाइन के होम सिगनल को 'ऑफ' किया जा सकेगा। (मुख्य लाइन के लिये पैरा-4 के अनुसार सामान्य प्रक्रिया अपनायी जायेगी)
7. प्रभावित सिरे जहाँ से गाड़ी भेजना है के लिये आवश्यक प्रस्थान सिगनल 'ऑफ' करने हेतु ऊपर दी गयी प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
8. अप/डाउन लूप लाइन नम्बर-1 या 2 पर गाड़ी लेने के लिये स्टेशन मास्टर द्वारा सिगनल 'ऑफ' करने से पहले कांटेवाला सम्बंधित लाइन प्रमाणित कर स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने लगे लाइन क्लीयर प्लंजर को दबायेगा।

**(सी) अप/डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल की कार्यप्रणाली :-**

- i. इस स्टेशन पर अप/डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सम्बंधित सोनी और उदी की ओर के नील्स 'ए' टाइप बॉल टोकन उपकरण की "ट्रेन गोइंग टू" स्थिति के माध्यम से नियंत्रित होते हैं यह सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं करना चाहिए जब तक अगले स्टेशन से 'लाइन क्लियर' का संकेत ब्लॉक उपकरण पर न मिल गया हो। यह सिगनल आपातकाल के मामले में किसी समय सम्बंधित स्टेशन मास्टर स्लाइड को सामान्य स्थिति में वापिस करने से 'ऑन' स्थिति में वापिस किया जा सकता है।
- ii. सम्बंधित अग्रिम प्रस्थान सिगनल की स्लाइड विपरीत स्थिति से सामान्य स्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा जब तक कि सिगनल से सम्पूर्ण गाड़ी पास नहीं हो जाती।
- iii. ऐसे मामले में जब ब्लॉक हैण्डल 'गाड़ी जा रही' स्थिति में नहीं घूमता है तो ब्लॉक उपकरण को खराब माना जायेगा। तब लाइन क्लियर ब्लॉक टेलीफोन द्वारा प्राइवेट नं. के आदान प्रदान से लिया जायेगा। सम्बंधित अग्रिम प्रस्थान सिगनल भी खराब माना जायेगा और गाड़ियों का संचालन सा. एवं सहा. नियमा. के सहा. नि. के पैरा 14.13 के अनुसार किया जायेगा।
- iv. सिगनल एवं दूरसंचार खराबी पुस्तिका में खराबी दर्ज की जाये ओर सि.दू.सं. कर्मचारियों को इसकी सूचना दी जाये।
- v. ऐसे मामले में जब अप/डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल खराब हो और गाड़ी का संचालन टी.369(3बी) पर किया जा रहा हो उस स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करने का प्राइवेट नम्बर लिखा जाये।

**टिप्पणी:-**जब किसी अप गाड़ी को अप लाइन से भेजना हो तो नामित कांटेवाला दूर सिरे के कांटे तक जायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लाइन सम्बंधित अप प्रस्थान सिगनल से डाउन होम सिगनल तक किसी भी अवरोध से साफ है तथा कांटो का सही तरह सेट एवं लॉक होना तथा समपार फाटक नं. 50 का सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द होना सुनिश्चित करेगा। वह एच के टी के द्वारा सम्बंधित रूट लीवर तथा गेट कन्ट्रोल कि चाबी स्टेशन मास्टर को प्रेषित करेगा। इसके बाद वह यह बात लोकोशन बॉक्स में दिये हुये टेलीफोन द्वारा स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

**(डी) नील्स 'ए' टाइप ब्लॉक उपकरण की कार्यप्रणाली :-**

भिण्ड-सोनी एवं भिण्ड-उदी खण्ड के लिये स्टेशन पर नील्स 'ए' टाइप ब्लॉक उपकरण लगाये गये हैं। स्टेशन मास्टर गाड़ी संचालन के लिये ब्लॉक उपकरणों का संचालन ब्लॉक वर्किंग नियमावली के अनुसार करेगा।

**(ई) संकेत चार्ट :-**

यातायात के लिए भिन्न सिगनलों के लिए संकेत निम्न प्रकार से है :-

आर	=	लाल (रूको, स्टॉप)
वाई	=	पीला (सावधान, कॉसन)
वाई.वाई.	=	दो पीले (सतर्क, अटेन्सन)
जी	=	हरा (साफ, क्लियर)
आर.आई./वाई.यू	=	रूट इन्डीकेटर

## i. डाउन गाड़ियां :-

डाउन मुख्य लाइन से डाउन गाड़ियों का संचालन	डाउन डिस्टेन्ट एस-1	डाउन होम	डाउन मुख्य स्टार्टर	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल
	1डी	एस-1	एस-4	एस-12
डाउन मुख्य लाइन से बिना रूके जाना	जी	जी	जी	जी
डाउन मुख्य लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई	आर	आर
लूप लाइन पर रूकना	वाई वाई	वाई.(रूट संकेत के साथ)	-	-
होम सिगनल पर रूकना	वाई.	आर	-	-

## ii. अप गाड़ियां :-

अप मुख्य लाइन से डाउन गाड़ियों का संचालन	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल	अप मुख्य स्टार्टर	अप होम सिगनल	अप डिस्टेन्ट सिगनल
	एस-13	एस-20	एस-21	एस-21 डी
अप मुख्य लाइन से बिना रूके जाना	जी	जी	जी	जी
अप मुख्य लाइन पर रूकना	आर	आर	वाई	वाई वाई
लूप लाइन पर रूकना	-	-	वाई.(रूट संकेत के साथ)	वाई वाई
होम सिगनल पर रूकना	-	-	आर	वाई.

## (एफ) पावर सप्लाय :

सिगनल सर्किट म.प्र.वि. बोर्ड के एक फेज द्वारा कार्य करता है यदि एक फेज बंद हो जाता है तो स्टेशन मास्टर तुरन्त स्विच का प्रयोग कर दूसरे फेज पर सिगनलिंग स्विच से सिगनलिंग लोड को स्थानान्तरित करेगा यदि दूसरा फेज भी कार्य नहीं कर रहा है तो स्विच द्वारा डी.जी. सैट पर स्थानान्तरित करेगा । इस सटेशन पर निम्न पावर सप्लाय उपलब्ध है :-

- 1 म.प्र. वि. बोर्ड
- 2 विद्युत जनरेटर सैट क्रमांक 1
- 3 विद्युत जनरेटर सैट क्रमांक 2

सामान्यतः म.प्र.वि. बोर्ड की ऊर्जा वितरण उपलब्ध रहती है यदि म.प्र.वि. बोर्ड की ऊर्जा वितरण फेल हो जाता है तो स्टेशन मास्टर सिगनलिंग लोड को डी.जी.सैट नम्बर 1 पर व्यक्तिगत रूप से चेंज ओवर स्विच नम्बर 1 को नीचे स्थिति में घुमाकर स्थानान्तरित करेगा और डी.जी.सैट क्रमांक 1 को पुश बटन दबाकर चालू करेगा ।

ऐसे मामले में जब म.प्र.वि. बोर्ड की ऊर्जा वितरण एवं डी.जी. सैट क्रमांक 1 खराब हो तो स्टेशन मास्टर चेंज ओवर के स्विच क्रमांक 1 को मध्य स्थिति में करेगा और चेंजओवर स्विच क्रमांक 2 के हैण्डल को नीचे की स्थिति में घुमायेगा और डी.जी. क्रमांक 2 के लिये दिये पुश बटन को दबायेगा ।

ऐसे मामले में जब दोनो डी.जी. सेट 1 एवं 2 स्टेशन मास्टर कार्यालय से चालू नही हो सकते हैं तो स्टैं मा. कांटेवाले को व्यक्तिगत रूप से डी.जी. सैट रूम भेजेगा और हाथ चालित हैण्डल द्वारा डी.जी.सेट क्रमांक 1 चालू करवायेगा। यदि डी.जी. सैट क्रमांक 1 चालू नही हो सकता है तो कांटे वाले स्टेशन मास्टर को लोड को डी.जी.सैट क्रमांक 2 पर स्थानान्तरित करने के लिये बतायेगा और हस्तचालन द्वारा डी.जी. क्रमांक 2 को चालू करने की कोशिश करेगा।

जैसे ही ऊर्जा वितरण सुचारू होता है। स्टेशन मास्टर यह देखेगा कि यदि कोई गाडी स्टेशन सिगनल के पास है तो वह गाडी के स्टेशन से सम्पूर्ण गुजर जाने का इंतजार करेगा। इसके बाद लोड को म.प्र.वि. बोर्ड ऊर्जा वितरण पर वापस करेगा। डी.जी. सैट को कम से कम 1/2 घंटे के लिये ऑन स्थिति में करेगा जिससे कि डी.जी.सेट बैटरी पूरी चार्ज हो जाये।

म.प्र.वि. बोर्ड वितरण पर लोड स्थानान्तरित करने के बाद स्टेशन मास्टर एक कांटे वाले को डी.जी. सैट बंद करने का निर्देश देगा। यदि कांटे वाला उपलब्ध नही है वह स्वयं एस.एम. स्लाइड ब्लॉक उपकरण एवं स्टेशन मास्टर कार्यालय को लॉक कर डी.जी.रूम जायेगा और स्वयं दिये गये प्लंजर को दबाकर डी.जी. सैट बंद करेगा।

प्रभारी स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सहा. स्टेशन मास्टर और कांटे वाले पूरी तरह से डी.जी. सैट के परिचालन से परिचित हैं।

पाली बदलने पर स्टेशन मास्टर स्वयं इंधन टंकी खोलकर देखेगा कि आवश्यक डीजल उपलब्ध हैं अथवा नही यदि इंधन टंकी में पेन्ट किये गये लाल चिन्ह से नीचे हैं तो तुरन्त आवश्यक डीजल भराने की व्यवस्था करेगा।

चार्ज लेते एवं देते समय स्टेशन मास्टर संकेत देखेगा कि आवश्यक डीजल हैं अथवा नही। स्टेशन मास्टर की यह पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि दोनो डी.जी.सैट में आवश्यक इंधन है।

स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि डी.जी.रूम खुला हुआ नही है और डी.जी. सैट एवं बैटरी अपनी अभिरक्षा में रखने के लिये पूर्ण जिम्मेदार है।

स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि लोड डी.जी. सैट में फिक्स करने के बाद डी.जी. रूम नही खोला जाये डी.जी. सैट और बैटरी आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की है।

ऐसे मामले में जब डी.जी. क्रमांक 1 एवं 2 से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नही है तो स्टेशन मास्टर तुरन्त सम्बन्धित एस.आई./ई.एस.एम. को ठीक करने के लिये सूचित करेगा।

स्टेशन मास्टर एक पुस्तिका मेन्टेन करेगा और उसमें निम्न सूचना दर्ज करेगा।

दिनांक	डी.जी.चालू करने का समय		डी.जी.बंद करने का समय		कुल चलाया गया समय		खर्च हुआ डीजल	
	डी.जी.1	डी.जी.2	डी.जी.1	डी.जी.2	डी.जी.1	डी.जी.2	डी.जी.1	डी.जी.2
	1		2		3		4	

डी.जी.सेट का कार्य		खराबी की सूचना देना				खराबी दूर की गयी			
डी.जी.1	डी.जी.2	डी.जी.1		डी.जी.2		डी.जी.1		डी.जी.2	
		समय	दिनांक	समय	दिनांक	समय	दिनांक	समय	दिनांक
5		6		7		8			

(जी)

- i. अप और डाउन मैन लाइन के एक्सल काउंटर उपकरणों का संचालन :-**
- अप और डाउन मैन लाइन के पारंपरिक ट्रैक सर्किट (2टी एवं 2एटी) के साफ होने को दर्शाने के लिये एक्सल काउंटर ट्राली दबाव के साथ प्रवेश/निकास भाग को ट्रैक सर्किट किया गया है।
  - वाहन के ट्रैक उपकरण के ऊपर से गुजने पर वाहनों के प्रवेश/निकास पर वाहनों के धुरों की एक्सल काउंटर गणना करता है।
  - जब अप/डाउन मैन लाइन साफ अर्थात् अप और डाउन मैन लाइन के बर्थिंग भाग वाहन से घिरा हुआ नहीं है एक्सल काउंटर उपकरण कंट्रोल पैनल पर रूट साफ संकेत दर्शायेगा, जब अप और डाउन मैन लाइन धिरी हुई हो या जब एक्सल काउंटर खराब हो जाये तब इस कंट्रोल पैनल पर लाल रोशनी के द्वारा रूट घिरा हुआ संकेत दर्शायेगा।
  - एक्सल काउंटर की रीसेटिंग के लिये इसकी खराबी के मामले में लाइन सत्यापन बॉक्स स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर लगाये गये हैं। लाइन सत्यापन बॉक्स स्टेशन मास्टर ताला, चाबी सहित लगाये गये हैं जिसकी चाबीयां स्टेशन मास्टर की स्वयं की अभिरक्षा में रहती हैं।
  - अप या डाउन गाड़ी अप और डाउन मैन लाइन पर लेने के लिये आगमन सिगनल 'ऑफ' करने से पहले स्टेशन मास्टर /सहा. स्टेशन मास्टर सम्बंधित एक्सल काउंटर संकेतक पर 'साफ संकेत' को अवश्य देखें।
  - अप और डाउन मैन लाइन के बर्थिंग भाग के लिये एक्सल काउंटर उपकरण का प्रावधान अतिरिक्त सुरक्षा के उद्देश्य से कार्यरत स्टेशन मास्टर सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा धिरी हुई लाइन पर कोई गाड़ी लेने की गलती रोकने के लिये किया गया है इसलिये ये अवश्यक है कि स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कर अप/डाउन मैन लाइन पर गाड़ी को लेने के लिये आगमन सिगनल को 'ऑफ' करने के पहले, लाइन 'साफ' है।
  - लाइन के पूरे ट्रैक सर्किट भाग को पारंपरिक ट्रैक सर्किट अवरोध का पता लगाता है एक्सल काउंटर के मामले में कोई अवरोध (जैसे कि मटेरियल ट्राली/डिपरोली आदि) यदि रूट उपकरण से बिना गुजरे हुये रूट पर रखी जाती है तो यह उनका पता नहीं लगा पता है इसलिये कार्यरत स्टेशन मास्टर के लिये व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि किसी गाड़ी को लाइन पर लेने के लिये सिगनल 'ऑफ' करने के पहले आगमन लाइन किसी भी अवरोध से साफ है इसके अतिरिक्त एक्सल काउंटर संकेतक और कंट्रोल पैनल भी जांचना चाहिए।
- ii. एक्सल काउंटर की खराबी :-**
- जब एक्सल काउंटर उपकरण घिरा हुआ (लाल) संकेत दिखाता है यद्यपि अप और डाउन मैन लाइन साफ और अवरोध रहित है यह संकेत देता है कि एक्सल काउंटर खराब हो गया है।
- इस प्रकार के मामले में स्टेशन मास्टर और सहा. स्टेशन मास्टर एक लिखित मैमों स्टेशन/सैक्शन के ई एस एम को खराबी को देखने के लिये भेजेगा खराबी को सिगनल एवं दूर संचार खराबी रजिस्टर में रिकार्ड करना चाहिए। एक्सल काउंटर की रीसेटिंग स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर दूसरे सहा. स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर/कांटे वाले/दूसरे यातायात कर्मचारी जो भी हो के साथ में अपने कार्यालय से बाहर आकर व्यक्तिगत रूप में अप और डाउन मैन लाइन के साफ होने का सत्यापन संयुक्त रूप में करना चाहिए।
  - स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर दूसरे सहा. स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर/कांटे वाले/दूसरे कर्मचारी जो भी हो के साथ में अपने कार्यालय से बाहर आकर व्यक्तिगत रूप में अप और डाउन मैन लाइन के साफ होने का सत्यापन संयुक्त रूप में करेगा। सुनिश्चित हो जाने के बाद की अप और डाउन मैन लाइन साफ है और अवरोध रहित है। स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर और ऑफ स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टर/कांटे वाले/दूसरा यातायात कर्मचारी स्टेशन पर मौजूद हों स्टेशन कार्यालय के बाहर बनाये गये लाइन सत्यापन बॉक्स में लगाये गये पुश बटन को एक साथ दबायेगें और स्टेशन मास्टर कार्यालय में अप और डाउन मैन लाइन के रीसेटिंग पुश बटन पैनल पर दिये गये हैं।
- जब कभी एक्सल काउंटर उपकरण की रीसेटिंग के लिये रीसेटिंग पुश बटन का प्रचालन किया जाता है, इसके साथ सम्बंधित काउंटर पर अगली उच्चतम संख्या प्रदर्शित हो जाती है।

- c. यदि दूसरे स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर/कांटे वाला उपलब्ध नहीं है के मामले में, अप और डाउन मैन लाइन पर जिसका एक्सल काउंटर खराब हो गया हो, स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर अवश्य सुनिश्चित करे कि रूट के आवश्यक कांटे सही सेट और लॉक है रूट सेटिंग के साथ कांटा संकेतक स्थिर संकेत दे रहा है। यदि कांटा संकेतक स्थिर संकेत नहीं दे रहा है तब कांटे क्लैम्प और पैडलॉक करना चाहिए और सहा. नि. 3.69-3 के अनुसार गाड़ियों उस समय तक अवश्य पायलट की जाये जब तक की खराब एक्सल काउंटर ठीक नहीं कर दिया जाता।
- d. एक्सल काउंटर के रीसेट हो जाने के बाद जो खराब हो गया था, संकेतक साफ संकेत दिखायेगा, तब अप और डाउन मैन लाइन पर गाड़ी लेने के लिये आगमन सिगनल "ऑफ" किये जा सकते हैं। स्टेशन मास्टर /सहा. स्टेशन मास्टर इस उद्देश्य के लिये बनाये गये रजिस्टर में प्रत्येक रीसेटिंग संचालन को रिकार्ड करना चाहिए। निम्नलिखित विवरण रजिस्टर में रिकार्ड करना चाहिए और ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर सहित, जैसा मामला हो, संयुक्त हस्ताक्षर करना चाहिए।
- i. दिनांक, समय और गाड़ी क्रमांक जिसके लिये एक्सल काउंटर को रीसेट किया गया हो।
  - ii. रीसेट करने के पहले एक्सल काउंटर की रीडिंग।
  - iii. रीसेट करने के बाद एक्सल काउंटर की रीडिंग।
  - iv. अप और डाउन लाइन से अंतिम जाने और आने वाली गाड़ी का क्रमांक और विवरण, जिसके बाद एक्सल काउंटर उपकरण खराब हुआ हो।
  - v. गाड़ी के अप और डाउन लाइन के वर्थिंग भाग को क्लियर करने का दिनांक और समय।
  - vi. स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर के साथ ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा संयुक्त रूप में एक्सल काउंटर उपकरण को रीसेट करने का दिनांक और समय।
  - vii. एक्सल काउंटर उपकरण को रीसेट करने वाले स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर।
  - viii. 'ऑफ' ड्यूटी स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर जिसने सम्बंधित स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर के साथ एक्सल काउंटर को रीसेट किया हो।
- e. यदि अप और डाउन मैन लाइन के एक्सल काउंटर उपकरण, वर्थिंग भाग के नियंत्रित करता है पहली गाड़ी के लिये सेट नहीं किये जा सके या यदि इसे पहली गाड़ी के लिये रीसेट किया जा सके, परंतु अगली गाड़ी के लिये रीसेट नहीं किया जा सके तब ऐसे मामले में, स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर तुरंत सम्बंधित ई एस एम को एक्सल काउंटर की खराबी के बारे में अवश्य सूचित करें, सम्बंधित एक्सल काउंटर उपकरणों को ठीक करने के लिये संदेश की प्राप्ति कापी एसई/सिगनल/एम या एस एसई/सिगनल/एम को भेजी जाये।
- f. ईएसएम/जेई/एसई/एस एसई को खराबी का संदेश प्राप्त होने पर स्टेशन पर पहुंचना चाहिए और खराब एक्सल काउंटर उपकरण के लिये दिये गये फार्म पर डिस्कनेक्शन मेमों देना चाहिए खराबी ठीक हो जाने के बाद ई एस एम/जेई/एस ई/एस एसई लिखित रिक्नेक्शन मेमों देगा कि खराबी ठीक हो गयी है। एक्सल काउंटर उपकरण खराब हो जाने की अवधि के दौरा और गाड़ियों के अप और डाउन मैन लाइन पर लेने के लिये कांटों को सही लगाकर क्लैम्प व पैडलॉक करना चाहिए यदि रूट के कांटे रूट की सेटिंग और कांटों के ठहरने का संकेत उपलब्ध न होने के कारण सही सेट और लाक नहीं हुआ हों, तो सहा. नि. 3.69-3 में दी गयी कार्य प्रणाली का अनुपालन करना चाहिए।
- g. यदि ईएसएम/जेई/एसई/एसएसई को मरम्मत, जांच आदि के उद्देश्य के लिये रीसेट बटन के प्रचालन की आवश्यकता हो तो काउंटर की रीडिंग वाले रजिस्टर में अवश्य रिकार्ड की जायें और सम्बंधित मेन्टीनेन्स कर्मचारी को रीसेटिंग बटन का प्रचालन करने के लिये स्टेशन मास्टर के साथ संयुक्त रूप में हस्ताक्षर करना चाहिए। अप और डाउन मैन लाइन के लिये एक्सल काउंटर उपकरण की रीसेटिंग काउंटर की अंतिम रीडिंग स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा 'ऑन' ड्यूटी के समय और 'ऑफ' ड्यूटी के समय गाड़ी रजिस्टर में अवश्य दर्ज की जाये।

**h. पुश ट्राली/मोटर ट्राली/डिपलौरी/मटेरियल लौरी का संचालन :-**

- i. पुश ट्राली/मोटर ट्राली/डिपलौरी/मटेरियल लौरी के इन्सुलेटिड धुरा, एक्सल काउंटर रूट उपकरण के ऊपर से गुजरने पर परिणामतः एक्सल काउंटर उपकरण में क्षणिक खराबी आती है पहिले एक्सल काउंटर उपकरण से पूरे गुजर जाने के बाद यह कि ठीक होकर सामान्य हो जाते है । आगमन सिगनल यदि पहले से ऑफ हो ऑन स्थिति में आ जायेगें सिगनल रद्दीकरण की कार्यप्रणाली अपनाने के बाद सिगनल दुबारा ऑफ किये जा सकेत हैं।
- ii. **बिना इन्सुलेटिड ट्रालियां:-** बिना इन्सुलेटिड धुरा निकलने पर जैसे कि पुश ट्राली/मोटर ट्राली/डिपरोली या मटेरियल लोरी के एक्सल काउंटर उपकरण के ऊपर से गुजरने पर एक्सल काउंटर के द्वारा नियंत्रित आगमन सिगनलों की खराबी का अनुपालन किया जाता है। आगमन सिगनलों को ऑफ करने के पहले एक्सल काउंटर को अवश्य रीसेट किया जायेगा।
- iii. उपरोक्त बतायी गयी परिस्थितियों के अंतर्गत यह आवश्यक है कि डिपलोरियों मटेरियल ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/पुश ट्रालियों का निश्चित रूप में कार्य स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर के स्पष्ट मैमों के अन्तर्गत विशेष अनुमति प्राप्त होने पर किया जाता है। स्टेशन मास्टर/सहा. स्टे.मास्टर को एक्सल काउंटर रीसेट केबल तब करना चाहिए जब ट्रालियों को रूट से हटा दिया जाता हो और इसकी सुनिश्चिता ट्राली के इन्चार्ज के लिखित मैमों द्वारा की गयी हो।


**i. एक्सल काउंटर को रीसेट करने की कार्य प्रणाली, जब खराब हो गया हो:-**

- a. यह परिचालन तब किया जाता है जब एक्सल काउंटर खराब हो गया हो और रीसेट करने की आवश्यकता है।
- b. स्टेशन पर गाड़ी लेने के बाद या जब गाड़ी ब्लॉक सैक्शन में प्रवेश नहीं हुयी हो या कोई ब्लॉक फारवर्ड/ब्लॉक बैक संचालन पूर्ण हो जाने के बाद, भी यदि लाइन घिरी हुयी (लाल) संकेत फिर दिखायी देता है तब स्टेशन मास्टर/सहा. स्टे.मास्टर एक्सल काउंटर की रीसेटिंग के लिये निम्नलिखित कार्य प्रणाली अपनायेगा।
- c. अप और डाउन मैन लाइन वाहनों से साफ है, का सत्यापन निम्नलिखित साधनों में से किसी एक के द्वारा किया जाये।
  - i. दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन पर लाइन सत्यापन बॉक्स पर उपरोक्त सत्यापन के बाद।
  - ii. संतुष्टि के बाद कि अप और डाउन मैन लाइन पर कोई वाहन छूटा नहीं है और एक्सल काउंटर की रीसेटिंग के लिये उससे सहयोग मांगने पर स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा एक्सल रीसेट किया जाये।
  - iii. स्टेशन मास्टर/ कांटेवाला लाइन सत्यापन बॉक्स पर बनाये गये रीसेट पुश बटन को दबायेगा।
  - iv. एक्सल काउंटर की रीसेटिंग के लिये स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर को एक पीला रीसेट कॉंपरेशन संकेत प्राप्त होने पर पैनल पर आर एस के चाबी लगायेगा, घुमायेगा और दबायेगा।
  - v. आर एस के चाबी दबाकार छोडने पर रीसेट काउंटर में एक नं. बढ़ जायेगा ब्लॉक पैनल पर लाइन साफ हरा संकेत दिखने लगता है और लाइन घिरी हुई (लाल) संकेत लुप्त हो जाता है।
  - vi. स्टेशन मास्टर /सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा काउंटर का नं. बढ़ जाने पर हस्तचलित प्रकार से एक्सल काउंटर को प्रत्येक बार रीसेट करने को एक्सल काउंटर रीसेट रजिस्टर में दर्ज करेगा।
  - vii. स्टेशन मास्टर/सहा. स्टेशन मास्टर द्वारा रीसेटिंग चाबी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

## परिशिष्ट "सी"

टक्कर रोधी यंत्र (रक्षा कवच)

उपलब्ध नहीं है:-



वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी & जी)/झांसी ।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.)/झांसी ।



## परिशिष्ट 'डी'

1. साधा. नि. 5.01(1) के अनुसार स्टेशन के काम-काज के लिए इस स्टेशन पर या स्टेशन सीमा में उसके अधीन काम करने वाले स्थाई या अस्थायी कर्मचारी उसके प्राधिकार और नियंत्रण में होंगे। वह यह देखने के जिम्मेदार होगा कि साधा. नि. 5.01 (3) के अनुसार स्टेशन का कार्य संचालन प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार कड़ाई पूर्वक किया जाता है।
2. कार्यरत स्टेशन प्रबंधक यह देखने के लिये जिम्मेदार होगा कि स्टेशन पर सभी कार्य उस समय लागू नियमों के अनुसार किये जाये।
3. कार्यरत स्टेशन प्रबंधक गाड़ी निकल जाने के बाद सहायक नियम 3.36/2 के अनुसार सिगनलों को वापस ऑन स्थिति में बैक करने के लिये जिम्मेदार होगा।
4. सर्तकता आदेश टी.396(3बी) पेपर लाइन क्लीयर टिकट और बिना लाइन क्लीयर का प्रस्थान प्राधिकार स्टे.मा. /सहा.सटे.मा. द्वारा जारी की जायेगी। पूछताछ और प्रति उत्तर किताब का रखरखाव ड्यूटी वाले सटे.मा. /सहा.सटे.मा. द्वारा किया जायेगा।
5. किसी असामान्य घटना के मामले में स्टे.अधी. को सामान्य एवं सहायक नियमों के सामान्य नियम 2.11 के अनुसार घटना की रिपोर्ट भेजने एवं आवश्यक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए।
6. बाहरी सम्मुख कॉटे पर ड्यूटी वाला कॉटे वाला गाड़ी के पूर्णागमन तक वह वहाँ रहेगा।
7. कांटेवाला के लिये नामित कर्मचारी शंटिंग परिचालन के समय गार्ड/स्टे.मा./शंटिंग प्रभारी के अधीन कार्य करेगा और सामान्य एवं सहा. नियम. के सहा. नियम 5.23-1 एवं 5.23-2 के अनुसार वाहनो की सुरक्षा करने के लिये जम्मेदार होगा।
8. जब लाइन क्लियर लिया गया हो अथवा दिया गया हो ड्यूटी का चार्ज जब तक पूरी गाड़ी नहीं आ जाती बदल नहीं जायेगा। स्टे.मा. कॉटो की सही सैटिंग लॉकिंग और आवश्यक सिगनल 'ऑफ' करने के लिये जिम्मेदार हैं।
9. ड्यूटी वाला कॉटेवाला सभी प्राधिकार सर्तकता आदेश इत्यादि डाईवर को सौपेगा। वह कॉटो को क्लैम्प पैडतालित करेगा जब आवश्यक होगा और सीधे जाने वाली गाड़ी से स्टे. की दूसरी ओर से सब ठीक हैं सिगनल का आदान प्रदान करेगा।
10. कांटे वाला जब भी आवश्यकता हो गेट को खोलने और बन्द करने के लिये जिम्मेदार होगा। और परिशिष्ट 'ए' में दिये गये निर्देशों के अनुसार गेट संचालन करेगा।

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी &जी)/ज्ञांसी ।

## परिशिष्ट 'ई'

### स्टेशन पर आवश्यक उपकरण

i.	स्लाइड पिन	04
ii.	क्लैम्प	06
iii.	पैड लॉक	10
iv.	एलईडी आधारित एच एस लैम्प	03
v.	हरी झण्डी	05
vi.	लाल झण्डी	07
vii.	संरक्षा जंजीर	04
viii.	लकड़ी के गुटके	08
ix.	अग्नि शमन यन्त्र	02
x.	आग बुझाने की बाल्टीयां	04
xi.	स्ट्रेचर	01
xii.	प्राथमिक चिकित्सा पेटी	01
xiii.	पटाखे	20

वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी & जी)/झांसी ।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.)/झांसी ।

## परिशिष्ट 'एफ'

डीके , हाल्ट, आई.बी.एच., आई.बी.एस. और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम :-

दोनों ओर के नॉन-ब्लॉक स्टेशन और उनकी दूरियां:-

भिण्ड-सोनी के मध्य दो 'डी' श्रेणी स्टेशन हैं।

अशोकहर किमी. 1289.538

इतेहर किमी. 1295.850

भिण्ड-उदी के मध्य एक 'डी' श्रेणी स्टेशन हैं।

फूफ किमी. 1319.637

टिप्पणी:-

- सहा.नि. 3.31 के अनुसार डी श्रेणी स्टेशन पर यात्रियों के चढ़ाने/उतारने के लिये यात्री गाडी के लोकोपायलेट प्लेटफार्म अथवा नियत रोक स्थान पर गाडी को रोकेंगे।
- स्टेशन चेतावनी बोर्ड: कोहरे और धुंध के मौसम में कार्यरत गाडी के लोकोपायलेट को फ्लैग/हाल्ट स्टेशन का संकेत देने के लिये स्टेशन से 800 मी की दूरी पर स्टे. चेतावनी तख्ती (सफेद आयाताकार में काले रंग का गोला) लगायी गई हैं।


वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी &जी)/झांसी ।

वरि.मं.सि. एवं दू.सं.अभि.(सम.)/झांसी ।

## परिशिष्ट 'जी'

विद्युतीकृत सेक्शनों में गाड़ियों के संचालन हेतु नियम

लागू नहीं है।



वरि.मंडल परि. प्रबंधक(जी & जी)/झांसी ।